



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड -I) 2019-2020



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड – I)

2019 – 2020

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड-I	
■ विषय सूची	i-ii
■ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	iii-iv
■ वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vi-xii
विवरण पत्रक संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक 1-2
विवरण पत्रक संख्या 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक 3-8
	अनुलग्नक – रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश
विवरण पत्रक संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि) 9-12
विवरण पत्रक संख्या 4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि) 13-18
विवरण पत्रक संख्या 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक 19-21
विवरण पत्रक संख्या 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक 22-25
विवरण पत्रक संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक 26-27
विवरण पत्रक संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक 28
विवरण पत्रक संख्या 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक 29
विवरण पत्रक संख्या 10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक 30
विवरण पत्रक संख्या 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक 31
विवरण पत्रक संख्या 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक 32-35
विवरण पत्रक संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश 36-37
■	लेखों पर टिप्पणियां 38-54
खण्ड-II	
भाग-I :	
विवरण पत्रक संख्या 14	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक 57-96
विवरण पत्रक संख्या 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक 97-137
विवरण पत्रक संख्या 16	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक 138-244
विवरण पत्रक संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक 245-256
विवरण पत्रक संख्या 18	राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक 257-289
विवरण पत्रक संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक 290-329
विवरण पत्रक संख्या 20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक 330-333
विवरण पत्रक संख्या 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक 334-344
विवरण पत्रक संख्या 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक 345-347

विषय-सूची – समाप्त

विषय	पृष्ठ
भाग-II :	
परिशिष्ट संख्या I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय 349-352
परिशिष्ट संख्या II	राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय 353-354
परिशिष्ट संख्या III	राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता (संस्थावार एवं योजनावार) 355-367
परिशिष्ट संख्या IV	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे 368-376
परिशिष्ट संख्या V	आयोजनागत योजना व्यय 377-393
	अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं केन्द्र आयोजनागत योजनाएं)
	ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं
परिशिष्ट संख्या VI	राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर) (अलेखापरीक्षित राशियाँ) 394-399
परिशिष्ट संख्या VII	शेषों की स्वीकृति एवं पुनर्मिलान (जैसा विवरण 18 एवं 21 में दर्शाया गया है) 400
परिशिष्ट संख्या VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम 401
परिशिष्ट संख्या IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची 402-407
परिशिष्ट संख्या X	वेतन एवं अवेतन हिस्से के पृथक्करण सहित अनुरक्षण व्यय 408-417
परिशिष्ट संख्या XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं 418
परिशिष्ट संख्या XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं 419
परिशिष्ट संख्या XIII	राज्यों के पुनर्गठन – शेषों की मदें जिनका बंटवारा राज्यों के मध्य/बीच अंतिम रूप से नहीं किया गया है। 420

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया गया है, खण्ड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खण्ड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाऊचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। विवरण संख्या 10(ii), विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक तथा परिशिष्ट (VIII, IX तथा XII) व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ/पाद टिप्पणियाँ/विवरण {7 (अनुभाग-3), 8, 12, 13, 15, 16, 18 तथा 19} में अतिरिक्त प्रकटन मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। विवरण संख्या 9 तथा 20 मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के स्वीकृति आदेशों के आधार पर तैयार किये गये हैं। परिशिष्ट-VI पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबन्धन ढांचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी संपूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे, 2019-20 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल है।

ध्यानाकर्षण हेतु महत्वपूर्ण मामले :-

मैं इस लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र में उन महत्वपूर्ण मुद्दों/मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता तथा पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और लोक वित्त पर विधायिका के वित्तीय नियंत्रण हेतु आवश्यक हैं। वह मुद्दा निम्नलिखित हैं :-

31 मार्च 2020 को 27 विभागों द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान के प्रति राशि ₹ 15,541.32 करोड़ के 19,604 उपयोगिता प्रमाण पत्र देय थे, जो राज्य के निकायों तथा प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि राशि ₹ 15,541.32 करोड़ का व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य हेतु किया गया है जिस हेतु उसे प्राधिकृत किया गया था। अधिक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित होने से निधि के दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है।

उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रेक्षकों का विस्तृत विवरण मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के मध्यप्रदेश सरकार के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिया गया है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 01 अप्रैल 2021

स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. मध्यप्रदेश राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व और पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकलित राज्य सरकार के लोक ऋण और दायित्व तथा परिसंपत्तियों के लेखाओं को प्रदर्शित करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग-I :- समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (भारित व्यय) होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

समेकित निधि में दो अनुभाग होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत ("लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां" सहित)। ये अनुभाग आगे "प्राप्तियाँ" तथा "व्यय" के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग तीन क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "कर राजस्व", "करेतर राजस्व" एवं "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। ये तीन क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – "आय एवं व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएँ" आदि। पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग के अन्तर्गत क्षेत्र, उपक्षेत्र (सेक्टर, सब सेक्टर) नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ" और "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। राजस्व व्यय अनुभाग के ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – "राज्य के अंग" "शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति" आदि। पूंजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रों (सेक्टर) में उप-विभाजित होता है यथा – "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ", "लोक ऋण", "कर्ज तथा उधार", "अंतर्राज्यीय परिशोधन" तथा "आकस्मिकता निधि को अन्तरण"।

भाग-II : आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए मध्यप्रदेश सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ है।

भाग—III : लोक लेखा : अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे — अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से दर्ज होने तक, दोनों अल्पकालिक हैं) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहती है। लोक लेखे में छः क्षेत्र (सेक्टर) समाविष्ट है, यथा — “लघु बचतें”, “भविष्य निधियाँ”, “आरक्षित निधियाँ”, “जमा एवं अग्रिम”, “उचंत एवं विविध”, “प्रेषण” तथा “रोकड़ शेष”। ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उप क्षेत्रों में उप-विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं होता है।

3. शासकीय लेखा छः स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है, यथा — मुख्यशीर्ष (चार अंक), उप मुख्यशीर्ष (दो अंक), लघुशीर्ष (तीन अंक), उपशीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंक) तथा उद्देश्य शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के क्रिया-कलाप प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्यशीर्ष उप क्रिया कलाप प्रदर्शित करते हैं, लघुशीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियां दर्शाते हैं, उपशीर्ष योजना, विस्तृत शीर्ष उप-योजना दर्शाते हैं तथा उद्देश्य शीर्ष व्यय का प्रयोजन/उद्देश्य दर्शाते हैं।


4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष होता है, जो निम्नानुसार संकेत प्रतिमान (कोडिंग पैटर्न) में हैं (31 मार्च 2020 तक संशोधित मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार)।

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (“लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां” सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोग
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतया (कुछ अपवादों सहित), लघुशीर्ष तक लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर दर्शाए जाते हैं अर्थात् वसूलियों को व्यय की कमी के रूप में लेखाकरण करने के उपरांत। यह प्रतिपादन विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों के लिए माँग एवं विनियोग लेखों में दर्शाए जाने वाले से भिन्न होता है, जहाँ व्यय सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

6. लेखे की संरचना का चित्र प्रदर्शन नीचे किया गया है :

सरकारी लेखे की संरचना



ख. वित्त लेखे में क्या निहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड-1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरण पत्रक जो राज्य सरकार की चालू वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति एवं लेन-देनों की संक्षिप्त जानकारी दर्शाते हैं, लेखों पर टिप्पणियाँ और लेखों पर टिप्पणियों के अनुलग्नक सम्मिलित है। खण्ड-1 के 13 विवरण पत्रकों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

- वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संचयी आंकड़े जो वर्षान्त में तथा पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति की तुलना में है, दर्शाता है।
- प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की वर्ष के दौरान तीन भागों जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यथा – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियाँ और संवितरण दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाने वाला इसका एक अनुलग्नक है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति भी दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि) :** इस विवरण पत्रक में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ और उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान शामिल होता है। यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 17 एवं 18 के समरूप होता है।
4. **व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि) :** वित्त लेखे के लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य प्रदर्शन से पृथक यह विवरण पत्रक व्यय का, गतिविधियों (व्यय का उद्देश्य) की प्रकृति अनुसार विस्तृत विवरण भी दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 15, 16, 17 एवं 18 के समरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 16 के समरूप है।
6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक :** राज्य द्वारा उधार लेने में, उसके द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य दायित्वों में "अल्प बचतें", "भविष्य निधियाँ आदि", "आरक्षित निधियाँ" तथा "जमा" शामिल हैं। विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी होती है तथा यह खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 17 के समरूप होता है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा ऋणियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा वैयक्तिक प्राप्तिकर्ता (शासकीय सेवकों सहित) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 18 के समरूप होता है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक सांविधिक निकायों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साधारण पूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 19 के समरूप होता है।
9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के मूल के पुनर्भुगतान एवं ऋणों पर ब्याज पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सारांशीकरण है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 20 के समरूप होता है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा अनुदान ग्रहीता की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा व्यक्ति को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट-III प्राप्तिकर्ता संस्थाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक वित्त लेखे में दर्शित हो रहे निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्शित हो रहे सकल आंकड़ों के मध्य मिलान में सहायता प्रदान करता है।
12. **राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय को अदा करने के सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य से, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष तथा उधार से पूरा किया जाता है।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक लेखे की शुद्धता को सिद्ध करने में सहायक होता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 के समरूप होता है।

वित्त लेखे के खण्ड-II के दो भाग हैं – भाग-I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग-II में तेरह परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. **राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण पत्रक-3 के समरूप होता है।
15. **राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक-4 के समरूप है, राज्य सरकार का राजस्व व्यय आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है।
16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक 5 के समरूप है, राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय, आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना, केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत (वर्ष के दौरान एवं संचयी) दर्शाता है। प्रभारित तथा दत्तमत व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संबंध में लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाने के लिए, यह विवरण पत्रक उपशीर्ष स्तर पर भी विस्तृत विवरण दर्शाता है।
17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक-6 के अनुरूप है, में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये सभी ऋणों के ब्यौरे (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। यह विवरण पत्रक ऋण पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करता है – (क) व्यक्तिगत ऋण के ब्यौरे (ख) परिपक्वता स्थिति जैसे विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित भुगतान योग्य राशि तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर स्थिति तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
18. **राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक-7 के समरूप है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक, विवरण पत्रक 16 एवं 19 के मध्य इकाईवार निवेश और मुख्य एवं लघु शीर्षवार विस्तृत विसंगतियों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-I में विवरण पत्रक-8 के समरूप होता है।
20. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक शासकीय प्रतिभूतियों का इकाईवार विवरण दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-I में विवरण पत्रक 9 के समरूप है।

21. **आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अनापूरित राशि के ब्यौरे, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों की स्थिति दर्शाता है।
22. **उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में वेतन, राज सहायता, सहायक अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, बृहद् केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य योजनाओं से संबंधित योजनावार व्यय से संबंधित मदों के सहित तेरह परिशिष्ट शामिल हैं। यह ब्यौरे उपशीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघुशीर्ष स्तर से नीचे) के लेखाओं जिन्हें सामान्यतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, को प्रस्तुत करते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I या II की विषय सूची में दर्शित है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

ग. त्वरित गणना पत्रक

नीचे दी गई सारणी खण्ड-I के अंतर्गत वर्णित संक्षिप्त विवरणों का संबंध खण्ड-II के विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से दर्शाती है (ऐसे परिशिष्ट जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा संबंध नहीं है, को यहां नहीं दिखाया गया है)।

मापदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड-I)	विस्तृत विवरण खण्ड-II	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	—
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	—	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गये ऋण और अग्रिम	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	—
ऋण स्थिति/उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	—
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश	8	16, 19	—
रोकड़	1, 2, 12, 13	—	—
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1, 2, 6, 7, 12, 13	21, 22	—
प्रत्याभूति	9	20	—
अन्तर्राज्यीय समायोजन	2, 3, 4, 12, 13	—	—
योजनाएं	—	—	IV (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (योजना व्यय) एवं VI (राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण)

घ. आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजन

कुछ लेन-देन जो लेखा में प्रकट होते हैं, इन्द्राज के समय नगद के वास्तविक प्रचालन से अन्तर्ग्रस्त नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन उन लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर किये जाते हैं (जैसे – कोषालय, संभाग इत्यादि)। उदाहरण के लिये, लेन-देन, जिनमें वेतन से सभी कटौतों के समायोजन शामिल होते हैं (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिम की वसूली आदि) पुस्तकीय समायोजन द्वारा राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखे को कार्यात्मक मुख्यशीर्ष का नामे करते हुए (संबंधित विभागों से सम्बद्ध) अभिलिखित किए जाते हैं। इसी तरह “निरंक” राशि वाले देयक, जहां धनराशि समेकित निधि और लोक लेखा के बीच अंतरित होती है लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर रोकड़ रहित लेन-देनों को दर्शाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण लेखों पर टिप्पणियाँ के अनुलग्नक (खण्ड-1) एवं संबंधित विवरण पत्रकों की पाद टिप्पणी में वर्णित होता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

- (1) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन/निधियों का सृजन जैसे – राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निक्षेप शीर्ष को जमा करना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज को मुख्यशीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां को नामे कर तथा मुख्यशीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि तथा मुख्यशीर्ष 8011-बीमा एवं पेंशन निधि को जमा कर सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) पर ब्याज एवं राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना का वार्षिक समायोजन।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन किया जाना। ये समायोजन (अपलिखित किए गए केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं को जमा कर एवं मुख्यशीर्ष 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम को विपरीत प्रविष्टि कर) दोनों राजस्व प्राप्तियों और लोक ऋण पर असर डालते हैं।

ङ. पूर्णांक

₹ 0.01 लाख/करोड़ का अंतर जहाँ कहीं भी परिलक्षित हो रहा है, पूर्णांक के कारण है।

1: वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियाँ (क)	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
रोकड़			70,60.93	53,89.02
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	निरंक	विवरण सं.2 का अनुलग्नक	निरंक	निरंक
(ii) विभागीय शेष	निरंक	21	(-) 3.21	(-) 3.17
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	निरंक	21	0.83	0.83
(iv) नकद शेष निवेश लेखा	निरंक	21	1,12,70.17	86,38.46
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि शेष जमा हो तो ऋणात्मक चिह्न के साथ यहाँ शामिल हो)	निरंक	विवरण सं.2 का अनुलग्नक	(-) 46,23.28 ^{(ख)(ग)}	(-) 36,63.52
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	निरंक	22	4,16.42 ^(घ)	4,16.42
पूँजीगत व्यय			24,23,99.03	21,31,57.55
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	3(iv)	19	3,63,73.52	3,52,40.10
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय	निरंक	5	20,60,25.51	17,79,17.45
आकस्मिकता निधि (अनापूरित)	3(xii)	निरंक	निरंक	निरंक
ऋण तथा अग्रिम	3(iii)	18	4,30,85.15	4,21,43.85
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	निरंक	21	3.48	3.40
उचंत तथा विविध शेष^(ङ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्रेषण शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य^(च)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग			29,25,48.59	26,06,93.82

- (क) परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं। कृपया 'लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत टिप्पणी 1(ii) भी देखें।
- (ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) को अनंतिम रूप से आवंटित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।
- (ग) मार्च 2020 की समाप्ति की स्थिति में "भारतीय रिजर्व बैंक जमा" में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 45,89.24 करोड़ (नामे) तथा महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹ 46,23.28 (जमा) करोड़ के मध्य निवल अंतर ₹ 34.04 करोड़ (नामे) के अंतर्गत है। रिजर्व बैंक जमा में यह अंतर एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेनदेनों को गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।
- (घ) कंपनियों इत्यादि के शेयरों में 'उद्दिष्ट निधियों' में से किए गए निवेश पूँजीगत व्यय में से हटाए गए हैं तथा 'उद्दिष्ट निधियों' से निवेश ₹ 4,16.42 करोड़ (राजस्व आरक्षित निधियाँ ₹ 7.61 करोड़, राज्य कृषि साख सहायता, और प्रत्याभूति निधि ₹ 0.02 करोड़, प्रत्याभूति मोचन निधि ₹ 4,08.78 तथा मध्यप्रदेश सरकार की अन्य निधियाँ ₹ 0.01 करोड़) में शामिल किए गए हैं।
- (ङ) इस विवरण में पंक्ति मद 'उचंत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी रोकड़ अग्रदाय' शामिल नहीं हैं, जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन्हें लेखों में अन्यत्र इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- (च) 'प्राप्तियों पर व्यय' का संचयी आधिक्य अथवा 'व्यय पर प्राप्तियों' का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

विवरण पत्रक संख्या 1 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)			18,08,28.71	15,73,97.91
(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	6, 17	15,97,92.74	14,00,09.31
बाजार ऋण	निरंक	6, 17	11,53,67.71	9,88,17.33
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	निरंक	6, 17	निरंक	निरंक
प्रतिकर तथा अन्य बंधपत्र	निरंक	6, 17	73,60.44	74,07.60
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	निरंक	6, 17	1,02,13.22	99,03.08
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	निरंक	6, 17	2,68,51.37	2,38,81.30
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	निरंक	6, 17	2,10,35.97	1,73,88.60
योजनेतर ऋण	निरंक	6, 17	24.73	28.28
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6, 17	1,61,41.44	1,73,58.44
राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	निरंक	6, 17	48,67.92	निरंक
अन्य ऋण	निरंक	6, 17	1.88	1.88
आकस्मिकता निधि (कोष)	3(xii)	21	5,00.00	5,00.00
लोक लेखा पर दायित्व			5,14,22.14	4,02,08.71
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	निरंक	12, 17, 21	1,90,33.74	1,65,77.33
(ii) जमा	निरंक	12, 17, 21	1,88,09.47	1,42,60.20
(iii) आरक्षित निधियाँ	निरंक	12, 21, 22	1,23,16.00	64,90.37
(iv) प्रेषण शेष	निरंक	12, 21	21,61.37	22,29.91
(v) उचंत तथा विविध शेष	निरंक	21	(-) 8,98.44 ^(क)	6,50.90
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	निरंक	निरंक	5,97,97.74 ^{(ख)(ग)}	6,25,87.20
योग			29,25,48.59	26,06,93.82

(क) उचंत तथा विविध शेषों की राशि में मुख्यशीर्ष 8658-उचंत लेखे की राशि ₹ 13,91.42 करोड़ (नामे), मुख्यशीर्ष 8679 – अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे 0.15 करोड़ (नामे) तथा मुख्यशीर्ष 8670 – बैंक तथा बिल की राशि ₹ 4,93.13 करोड़ (जमा) के शेष सम्मिलित है।

(ख) सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006-07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के ₹ 9.19 करोड़ सम्मिलित हैं।

(ग) मुख्यशीर्ष 4000-विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के ₹ 3,29.66 करोड़ शामिल हैं, जो विवरण संख्या 12 में पूंजीगत एवं अन्य व्यय से घटाये गये हैं।

2: प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक					
				(₹ करोड़ में)	
प्राप्तियाँ		संवितरण			
	2019-20	2018-19		2019-20	2018-19
भाग - I समेकित निधि					
अनुभाग - अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	14,76,43.35	14,88,92.79	राजस्व व्यय (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख एवं 15)	15,04,44.30	14,21,49.21
कर राजस्व (राज्य द्वारा एकत्रित गया) (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	5,58,23.69	5,08,82.41	वेतन ¹ (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-ख एवं परिशिष्ट-1)	2,93,84.30	2,55,89.65
करेतर राजस्व (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	1,03,49.56	1,18,98.69	राजसहायता ^{1, 2} (संदर्भ : परिशिष्ट-II)	1,25,38.53	2,11,17.53
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	4,42.54	8,80.34	सहायता अनुदान ^{1,3} (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)	5,89,66.38	4,61,11.63
अन्य (संदर्भ : विवरण पत्रक 3)	99,07.02	1,10,18.35	सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4 एवं 15)		
			ब्याज भुगतान तथा ऋण शोधन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख एवं 15)	1,42,16.52	1,26,95.69
संघ करों/शुल्कों का भाग (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	4,95,17.61	5,74,87.01	पेंशन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख एवं 15)	1,20,53.49	1,19,83.83
			अन्य (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-ख)	42,37.11	49,88.86
			योग (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 15)	3,05,07.12	2,96,68.38
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 15)	96,70.25	81,94.55
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 15)	34,77.48	37,95.81
केन्द्र सरकार से अनुदान (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	3,19,52.49	2,86,24.68	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 15)	59,00.24	76,71.66
राजस्व घाटा	28,00.95	निरंक	राजस्व आधिक्य	निरंक	67,43.58

- 1 वेतन राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, क्षेत्र (क) 'सामान्य', (ख) 'सामाजिक' एवं (ग) 'आर्थिक' से एकत्रित की गई है। वेतन की राशि ₹ 90,91.91 करोड़, ₹ 1,64,17.83 करोड़ एवं ₹ 38,74.56 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है। राजसहायता की राशि ₹ 1,45.98 करोड़, ₹ 20,55.84 करोड़ एवं ₹ 1,03,36.71 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है। सहायता अनुदान की राशि ₹ 81.77 करोड़, ₹ 3,60,80.61 करोड़ एवं ₹ 2,28,04.00 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है।
- 2 विवरण पत्रक संख्या 2 के राजसहायता के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) जिसमें विशेष रूप से राजसहायता एवं सहायता अनुदान समाविष्ट है (पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन सहित) से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4, विवरण पत्रक संख्या 15 एवं परिशिष्ट-II के आंकड़ों से ₹ 1,02.97 करोड़ से भिन्न है।
- 3 विवरण पत्रक संख्या 2 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ से संबंधित व्यय एवं पूँजीगत अनुभाग के तहत वर्गीकृत सहायता अनुदान के व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4, 10, 15 एवं परिशिष्ट-III के आंकड़ों से ₹ 62,91.95 करोड़ से भिन्न है। हालांकि यह विवरण पत्रक संख्या 15 से ₹ 57,97.27 से भिन्न है, जो कि क्षेत्र-घ से संबंधित है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2019-20	2018-19		2019-20	2018-19
भाग – I समेकित निधि – जारी					
अनुभाग- ब : पूंजीगत					
पूँजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	13.66	13.04	पूँजीगत परिव्यय ^{4,5} (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख एवं 16)	2,92,41.48	2,94,24.19
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 16)	9,82.03	7,22.69
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 16)	69,21.98	57,19.33
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 16)	2,13,37.47	2,29,82.17
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 7 एवं 18)	45.86	69.88	ऋण तथा अग्रिम संवितरित (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	9,87.16	10,89.66
सामान्य सेवायें	1.35	1.65	सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	निरंक	65.00
सामाजिक सेवायें	35.80	50.06	सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	3,58.12	2,54.41
आर्थिक सेवायें	8.69	18.16	आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	6,29.04	7,70.25
शासकीय कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	0.02	0.01	अन्य (संदर्भ : विवरण पत्रक 7)	निरंक	निरंक
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	3,43,64.41	3,24,97.42	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 6 एवं 17)	1,09,33.62	1,35,23.72
आंतरिक ऋण ⁶ (बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ. इत्यादि) (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	2,94,96.49 ^(क)	2,87,01.64 ^(ख)	आंतरिक ऋण, (बाजार ऋण एन.एस.एस.एफ. इत्यादि) (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 6 एवं 17)	97,13.06 ^(ग)	1,23,75.49 ^(घ)

- 4 वर्ष 2018-19 में ₹ 2,73.67 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में ₹ 2,51.35 करोड़ (सामाजिक क्षेत्र में ₹ 15.55 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में ₹ 2,35.80 करोड़) वेतन राशि के रूप में सम्मिलित है।
- 5 वर्ष 2018-19 में ₹ 5,41.41 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में ₹ 2,57.04 करोड़ (सामाजिक क्षेत्र में ₹ 10.20 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में ₹ 2,46.84 करोड़) सहायता अनुदान की राशि के रूप में सम्मिलित है। पूंजीगत परिव्यय शीर्षों के अन्तर्गत सहायता अनुदान का प्रावधान करने विषयक राज्य शासन को लिखा गया है।
- 6 आंतरिक ऋण में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से संबंधित प्राप्तियाँ (क) ₹ 51,47.11 करोड़ (ख) ₹ 29,71.57 करोड़ और संवितरण (ग) ₹ 21,77.04 करोड़ (घ) ₹ 18,85.53 करोड़ सम्मिलित है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2019-20	2018-19		2019-20	2018-19
भाग – I समेकित निधि – समाप्त					
अनुभाग- ब : पूंजीगत					
भारत सरकार से ऋण (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	48,67.92	37,95.78	भारत सरकार से ऋण (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 6 एवं 17)	12,20.56	11,48.23
अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा	(-) 0.25	0.75	अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा	(-) 0.62	1.05
			आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 3)	18,20,67.03	18,14,73.88	कुल व्यय समेकित निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 4)	19,16,05.93	18,61,87.83
समेकित निधि में घाटा	93,38.90	47,13.95	समेकित निधि में आधिक्य	निरंक	निरंक
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	निरंक	निरंक	आकस्मिकता निधि (संदर्भ: विवरण पत्रक 21)	निरंक	निरंक
भाग-III लोक लेखा⁷					
लघु बचतें (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	50,84.92	45,70.80	लघु बचतें (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	26,28.50	23,22.28
आरक्षित एवं निक्षेप निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	90,13.01	22,31.96	आरक्षित एवं निक्षेप निधि (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	31,87.38	16,42.05
जमा (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	3,71,50.64	3,17,62.67	जमा (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	3,26,01.38	3,15,98.74
अग्रिम (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	निरंक	निरंक	अग्रिम (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	0.08	निरंक
उचंत एवं विविध (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	27,35,26.71	25,79,69.58	उचंत एवं विविध ⁸ (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	27,77,10.26	25,98,70.11
प्रेषण (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	1,73,55.86	1,82,06.46	प्रेषण (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	1,74,24.40	1,75,64.21
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	34,21,31.14	31,47,41.47	कुल संवितरण लोक लेखा (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	33,35,52.00	31,29,97.39
लोक लेखा में घाटा	निरंक	निरंक	लोक लेखा में आधिक्य	85,79.14	17,44.08
प्रारंभिक रोकड़ शेष	(-) 36,63.52	(-) 6,93.65	अंतिम रोकड़ शेष	(-) 46,23.28	(-) 36,63.52
रोकड़ शेष में वृद्धि	निरंक	निरंक	रोकड़ शेष में कमी	9,59.76	29,69.87

7 विवरण हेतु कृपया खंड-II का विवरण संख्या-21 देखें।

8 'उचंत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं में आंकड़े वृहद रूप में परिलक्षित होते हैं। कृपया विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 21 में देखें।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी
विवरण पत्रक संख्या 2 का अनुलग्नक

रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकार की सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क- सामान्य रोकड़ शेष –		
(i) खजानों में रोकड़		
(ii) रिजर्व बैंक में जमा ^(क)	मुख्य शीर्ष 8999	(-) 46,23.28 ^{(ख)(ग)}
(iii) अन्य बैंकों में जमा	निरंक	निरंक
(iv) स्थानीय प्रेषण	निरंक	निरंक
योग	(-) 46,23.28	(-) 36,63.52
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश	मुख्य शीर्ष 8673	1,12,70.17
योग – क – सामान्य रोकड़ शेष	66,46.89	49,74.94
ख- अन्य रोकड़ शेष और निवेश –		
(vi) विभागीय रोकड़ शेष	(-)3.21	(-)3.17
(vii) स्थाई अग्रिम	0.83	0.83
(viii) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	4,16.42	4,16.42
योग – ख – अन्य रोकड़ शेष और निवेश	4,14.04	4,14.08
योग – क + ख	70,60.93	53,89.02

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- (क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत खजानों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, सम्मिलित है। रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाते हैं। रोकड़ की समग्र स्थिति पर पहुंचने के लिये खजानों, विभागों में रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों इत्यादि से निवेश को भारतीय 'रिजर्व बैंक में जमा' के शेषों में जोड़ा जाता है।

(क) 15 अप्रैल, 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अंतर्गत शेष अंतर-सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत है।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर को मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) अंतिम रूप से आवंटित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) मार्च 2020 की समाप्ति की स्थिति में "भारतीय रिजर्व बैंक जमा" में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 45,89.24 करोड़ (नामे) तथा महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹ 46,23.28 (जमा) करोड़ के मध्य निवल अंतर ₹ 34.04 करोड़ (नामे) के अंतर्गत है। रिजर्व बैंक जमा में यह अंतर एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेनदेनों को गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

अनुलग्नक – जारी

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 1.96 करोड़ न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि अनुबंध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम, अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़ शेष^(क) प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उससे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण के लिये आवेदन करती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण पर ब्याज की प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं :-

स.क्र.	नामकरण	दर
1.	अर्थोपाय अग्रिम (साधारण)	
	(क) 90 दिन तक	रेपो दर
	(ख) 90 दिन से अधिक	रेपो दर + 1
2.	अर्थोपाय अग्रिम (विशेष)	रेपो दर - 1
3.	कमी	रेपो दर
4.	अधिविकर्षण	
	(क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत तक	रेपो दर + 2
	(ख) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत से अधिक	रेपो दर

वर्ष 2019-20 के दौरान रेपो दर 6.25 से 4.40 प्रतिशत तक परिवर्तनशील रही।

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2019-20 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष बिना किसी अग्रिम लिए बनाये रखा गया	366
(ii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिमों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिया गया	निरंक

^(क) उपरोक्त नकदी शेष ('भारतीय रिजर्व बैंक में जमा') वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में संवरित नकदी शेष है परन्तु 15 अप्रैल को निकाला गया है तथा 31 मार्च का साधारण दैनिक शेष नहीं है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – समाप्त
अनुलग्नक – समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन-देनों का विस्तृत लेखा नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष	2019-20 के दौरान प्राप्त की गई राशि	2019-20 के दौरान चुकाई गई राशि	31 मार्च 2020 को शेष	2019-20 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज
साधारण अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.41 ^(क)
विशेष अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अधिविकर्षण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.41

31 मार्च 2020 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न हैं :-

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूति का प्रकार		राशि
(1)	भारत सरकार के खजाना बिल	1,12,70.17
(2)	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	निरंक
	योग	1,12,70.17

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 1,45.29 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ, जबकि 2018-19 के दौरान ₹ 1,46.45 करोड़ था।

टीप :- सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या-8 एवं 19 में दिए गए हैं। उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या-22 में दर्शाई गई हैं।

^(क) फरवरी 2019 के दौरान लिए गए साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए किया गया ब्याज भुगतान।

3 : प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)	
	विवरण	वास्तविक	
		2019-20	2018-19
I-	कर एवं करेतर राजस्व		
क	कर राजस्व		
क.1	स्वयं का कर राजस्व	5,58,23.69	5,08,82.41
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2,04,47.78	1,85,08.50
	भू-राजस्व	5,62.37	3,83.91
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	55,68.59	52,77.99
	राज्य उत्पाद शुल्क	1,08,29.35	95,42.15
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,12,57.71	99,03.20
	माल तथा यात्री कर	1,45.02	1,17.50
	वाहन कर	32,51.23	30,08.26
	अन्य	37,61.64	41,40.90
क.2	संघ करों एवं शुल्क के शुद्ध आगम का भाग	4,95,17.61	5,74,87.01
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,40,51.51	1,41,87.62
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	निरंक	11,32.20
	निगम कर	1,68,83.57	1,99,90.17
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,32,29.42	1,47,21.91
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	निरंक	1,04.11
	धन कर	0.73	7.34
	सीमा शुल्क	31,38.75	40,74.58
	संघ उत्पाद शुल्क	21,82.27	27,07.80
	सेवा कर	निरंक	5,31.47
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	31.36	29.81
	योग - क	10,53,41.30	10,83,69.42
ख	करेतर राजस्व		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	43,20.22	39,33.56
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	20,59.65	23,66.39
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8,34.26	10,42.94
	लघु सिंचाई	2,34.98	5,45.04
	ब्याज प्राप्तियाँ	4,42.54	8,80.34
	विविध सामान्य सेवाएं	3,37.75	7,73.18
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,26.95	3,55.97
	लाभांश तथा लाभ	4,75.96	3,47.26
	मध्यम सिंचाई	1,13.47	2,26.40
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	1,29.62	2,22.35
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,76.34	2,14.46
	बिजली	54.56	1,90.32
	लोक निर्माण कार्य	1,17.91	1,51.75
	पुलिस	1,24.39	1,45.70
	अन्य सामाजिक सेवाएं	2,13.47	92.69
	ग्राम तथा लघु उद्योग	28.43	88.13

विवरण पत्रक संख्या 3 – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2019-20	2018-19
I-	कर एवं करेतर राजस्व – समाप्त		
ख	करेतर राजस्व – समाप्त		
	फसल कृषि-कर्म	46.92	62.14
	मुख्य सिंचाई	58.15	37.07
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	32.12	29.71
	आवास	27.27	28.02
	श्रम तथा रोजगार	35.40	27.18
	जलपूर्ति तथा सफाई	12.51	25.34
	शहरी विकास	30.36	15.00
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	11.05	14.97
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	19.83	12.43
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	32.78	11.66
	पर्यटन	0.63	11.18
	अपारम्परिक उर्जा स्रोत	0.98	10.28
	मछली पालन	7.78	9.94
	सहकारिता	10.49	8.40
	लोक सेवा आयोग	13.07	6.43
	जेल	4.89	3.65
	पशुपालन	2.54	2.73
	अन्य कृषि कार्यक्रम	9.97	1.91
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	0.05	1.38
	सड़क तथा सेतु	0.60	1.18
	उद्योग	0.53	0.85
	सूचना तथा प्रचार	0.65	0.38
	परिवार कल्याण	0.23	0.23
	अन्य उद्योग	0.21	0.14
	डेरी विकास	0.06	0.01
	पेट्रोलियम	निरंक	निरंक
	योग – ख	1,03,49.57	1,18,98.69
II	भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान		
ग	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान^(क)		
	योजनेतर अनुदान	निरंक	49,20.33
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	निरंक	निरंक
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	निरंक	9,14.40
	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	निरंक	3,34.00
	अन्य अनुदान	निरंक	36,71.93

(क) मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार उप मुख्य शीर्ष 01-योजनेतर अनुदान, 02-राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान, 03-केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान तथा उनके अंतर्गत दिए गए लघुशीर्ष दिनांक 01.04.2017 के बाद से परिचालन में नहीं है।

विवरण पत्रक संख्या 3 – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2019-20	2018-19
II	भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान – समाप्त		
ग	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान ^(क) – समाप्त		
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	निरंक	2,08,21.22
	एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान (जिसमें से ई ए पी)	निरंक	63.75
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	निरंक	2,46.26
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में अनुदान	निरंक	निरंक
	अन्य अनुदान	निरंक	2,05,11.21
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	निरंक	17.13
	केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	निरंक	निरंक
	अन्य अनुदान	निरंक	निरंक
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,95,48.19	निरंक
	केन्द्रीय सहायता/अंश	1,74,64.21	निरंक
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	10,25.16	निरंक
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	4,49.39	निरंक
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	6,09.43	निरंक
	वित्त आयोग अनुदान	60,77.55	निरंक
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	54,30.45	निरंक
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	6,47.10	निरंक
	राज्य/विधायिका सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान	63,26.74	28,66.00
	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में योगदान हेतु अनुदान	17,12.14	निरंक
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	83.82	निरंक
	जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति	45,30.78	28,66.00
	योग – ग	3,19,52.48	2,86,24.68
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग)	14,76,43.35	14,88,92.79
III	पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ		
घ	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		
	सिविल		
	सहकारी समितियों/बैंकों का विनिवेश/पूँजी की निवृत्ति	निरंक	निरंक
	अन्य प्राप्तियाँ	13.66	13.04
	विनिवेश आय	निरंक	निरंक
	योग – घ	13.66	13.04

(क) मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार उप मुख्य शीर्ष 01-योजनेतर अनुदान, 02-राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान, 03-केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान तथा उनके अंतर्गत दिए गए लघुशीर्ष दिनांक 01.04.2017 के बाद से परिचालन में नहीं है।

विवरण पत्रक संख्या 3 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2019-20	2018-19
III	पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ – समाप्त		
ड	लोक ऋण प्राप्तियाँ		
	आंतरिक ऋण	2,94,96.49	2,87,01.64
	बाजार ऋण	2,23,71.39	2,04,96.00
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	19,77.99	18,57.69
	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	51,47.11	29,71.57
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	निरंक	33,76.38
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	48,67.92	37,95.78
	योजनेतर ऋण	निरंक	निरंक
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिये ऋण ^(क)	निरंक	37,95.78
	राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	48,67.92	निरंक
	योग – ड	3,43,64.41	3,24,97.42
च	राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ) ^(ख)	45.86	69.88
छ	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-) 0.25	0.75
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)	18,20,67.03	18,14,73.88

(क) मुख्य तथा लघु लेखाशीर्षों की सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 02-राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण दि.01.04.17 के बाद से परिचालन में नहीं है।

(ख) विस्तृत विवरण, खण्ड-I में विवरण संख्या-7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं।

4 : व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

क. कार्य आधारित व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
क	सामान्य सेवाएं				
क.1	राज्य के अंग	16,34.85	निरंक	निरंक	16,34.85
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	81.48	निरंक	निरंक	81.48
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	11.83	निरंक	निरंक	11.83
	मंत्रिपरिषद	1,55.01	निरंक	निरंक	1,55.01
	न्याय प्रशासन	10,85.69	निरंक	निरंक	10,85.69
	निर्वाचन	3,00.84	निरंक	निरंक	3,00.84
क.2	राजकोषीय सेवाएं	1,74,20.50	निरंक	निरंक	1,74,20.50
	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	भू-राजस्व	9,57.52	निरंक	निरंक	9,57.52
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	1,15.35	निरंक	निरंक	1,15.35
	राज्य उत्पाद शुल्क	18,21.10	निरंक	निरंक	18,21.10
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4.97	निरंक	निरंक	4.97
	वाहन कर	76.13	निरंक	निरंक	76.13
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रभारों का संग्रहण	1,95.36	निरंक	निरंक	1,95.36
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	31.21	निरंक	निरंक	31.21
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.34	निरंक	निरंक	2.34
	ब्याज अदायगियाँ	1,42,16.52	निरंक	निरंक	1,42,16.52
क.3	प्रशासनिक सेवाएं	86,91.87	9,82.03	निरंक	96,73.90
	लोक सेवा आयोग	21.26	निरंक	निरंक	21.26
	सचिवालय – सामान्य सेवाएं	1,91.55	निरंक	निरंक	1,91.55
	जिला प्रशासन	7,18.89	निरंक	निरंक	7,18.89
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,71.85	निरंक	निरंक	1,71.85
	पुलिस	62,56.69	5,53.85	निरंक	68,10.54
	जेल	3,70.30	निरंक	निरंक	3,70.30
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	44.88	0.07	निरंक	44.95
	लोक निर्माण-कार्य	4,00.89	4,06.46	निरंक	8,07.35
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	5,15.56	21.65	निरंक	5,37.21
क.4	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	1,20,79.56	निरंक	निरंक	1,20,79.56
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	1,20,53.49	निरंक	निरंक	1,20,53.49
	विविध सामान्य सेवाएं	26.07	निरंक	निरंक	26.07
	योग—क—सामान्य सेवाएं	3,98,26.78	9,82.03	निरंक	4,08,08.81

विवरण पत्रक संख्या 4 – जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति^(क)	2,87,80.25	14,90.25	46.27	3,03,16.77
	सामान्य शिक्षा	2,80,15.38	12,98.75	46.27	2,93,60.40
	तकनीकी शिक्षा	4,77.84	57.99	निरंक	5,35.83
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1,47.14	1,12.86	निरंक	2,60.00
	कला एवं संस्कृति	1,39.89	20.65	निरंक	1,60.54
ख.2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	84,84.13	10,96.31	निरंक	95,80.44
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	79,52.92	10,96.31	निरंक	90,49.23
	परिवार कल्याण	5,31.21	निरंक	निरंक	5,31.21
ख.3	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,14,00.22	32,39.86	3,11.84	1,49,51.92
	जलपूर्ति तथा सफाई	11,57.46	23,99.85	निरंक	35,57.31
	आवास	54,84.96	57.83	निरंक	55,42.79
	शहरी विकास	47,57.80	7,82.18	3,11.84	58,51.82
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	3,06.27	निरंक	निरंक	3,06.27
	सूचना तथा प्रचार	3,06.27	निरंक	निरंक	3,06.27
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	39,30.24	9,82.48	निरंक	49,12.72
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	39,30.24	9,82.48	निरंक	49,12.72
ख.6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण	9,11.68	निरंक	निरंक	9,11.68
	श्रम तथा रोजगार	9,11.68	निरंक	निरंक	9,11.68
ख.7	समाज कल्याण तथा पोषण	1,03,21.16	70.22	निरंक	1,03,91.38
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	59,97.16	70.22	निरंक	60,67.38
	पोषण	14,85.98	निरंक	निरंक	14,85.98
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	28,38.02	निरंक	निरंक	28,38.02
ख.8	अन्य	90.58	42.86	निरंक	1,33.44
	अन्य सामाजिक सेवाएं	55.19	42.86	निरंक	98.05
	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	35.39	निरंक	निरंक	35.39
	योग-ख-सामाजिक सेवाएं	6,42,24.53	69,21.98	3,58.11	7,15,04.62

(क) पूँजीगत लेखा तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति नामक एकल मुख्य शीर्ष है।

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	1,32,27.23	5,46.63	1,13.15	1,38,87.01
	फसल कृषि-कर्म	91,64.91	निरंक	निरंक	91,64.91
	मृदा तथा जल संरक्षण	74.92	निरंक	निरंक	74.92
	पशुपालन	10,04.92	4.07	निरंक	10,08.99
	मछली पालन	82.23	निरंक	निरंक	82.23
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	14,25.00	5,37.55	निरंक	19,62.55
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	9,38.81	0.28	0.07	9,39.16
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1,52.70	निरंक	निरंक	1,52.70
	सहकारिता	3,83.74	4.73	1,13.08	5,01.55
ग.2	ग्रामीण विकास	75,04.66	44,52.28	निरंक	1,19,56.94
	ग्रामीण रोजगार	16,50.00	निरंक	निरंक	16,50.00
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	58,54.66	44,52.28	निरंक	1,03,06.94
ग.3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	7,61.03	निरंक	निरंक	7,61.03
	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	7,61.03	निरंक	निरंक	7,61.03
ग.4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11,22.32	89,95.94	निरंक	1,01,18.26
	मुख्य सिंचाई	2,30.31	75,09.23	निरंक	77,39.54
	मध्यम सिंचाई	7,18.84	9,45.05	निरंक	16,63.89
	लघु सिंचाई	1,63.96	4,80.70	निरंक	6,44.66
	कमान क्षेत्र विकास	9.21	55.97	निरंक	65.18
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	निरंक	4.99	निरंक	4.99
ग.5	ऊर्जा	1,40,77.42	5,62.29	3,28.40	1,49,68.11
	बिजली	1,39,68.16	5,62.29	3,28.40	1,48,58.85
	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	1,09.26	निरंक	निरंक	1,09.26
ग.6	उद्योग तथा खनिज	23,46.79	5,65.35	1,87.50	30,99.64
	ग्राम तथा लघु उद्योग	6,93.05	2,55.15	निरंक	9,48.20
	उद्योग	3,47.00	निरंक	निरंक	3,47.00
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	13,06.74	1.06	निरंक	13,07.80
	अन्य उद्योग	निरंक	3,09.14	निरंक	3,09.14
	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	पेट्रो केमिकल उद्योग	निरंक	निरंक	1,87.50	1,87.50
ग.7	परिवहन	11,67.14	61,55.53	निरंक	73,22.67
	नागर विमानन	8.95	9.71	निरंक	18.66
	सड़क तथा सेतु	11,58.19	61,45.82	निरंक	73,04.01
	सड़क परिवहन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—समाप्त				
ग.8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	73.53	निरंक	निरंक	73.53
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	73.53	निरंक	निरंक	73.53
ग.9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,12.63	59.45	निरंक	2,72.08
	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	32.61	निरंक	निरंक	32.61
	पर्यटन	95.95	59.45	निरंक	1,55.40
	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	59.87	निरंक	निरंक	59.87
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	24.20	निरंक	निरंक	24.20
	योग – ग – आर्थिक सेवाएं	4,04,92.75	2,13,37.47	6,29.05	6,24,59.27
घ	सहायता अनुदान तथा अंशदान				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	59,00.24	निरंक	निरंक	59,00.24
	योग—घ—सहायता अनुदान तथा अंशदान	59,00.24	निरंक	निरंक	59,00.24
ङ	लोक ऋण				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	निरंक	97,13.06	97,13.06
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	निरंक	निरंक	12,20.56	12,20.56
	योग—ङ— लोक ऋण	निरंक	निरंक	1,09,33.62	1,09,33.62
च	ऋण तथा अग्रिम				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग—च—ऋण तथा अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
छ	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	निरंक	(-) 0.62	(-) 0.62
ज	आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग – समेकित निधि के अंतर्गत व्यय	15,04,44.30	2,92,41.48	1,19,20.16	19,16,05.94

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

ख : प्रकृति अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2019-20			2018-19		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
11	वेतन	2,93,84.31	2,51.35	2,96,35.66	2,55,89.65	2,73.67	2,58,63.32
12	मजदूरी	11,36.62	3,87.41	15,24.03	10,30.25	3,62.21	13,92.46
13	पेशन तथा पेंशन हितलाभ	1,11,62.84	0.05	1,11,62.89	1,12,73.95	0.20	1,12,74.15
14	पुरस्कार, पारितोषिक, सम्मान	61.86	निरंक	61.86	59.44	निरंक	59.44
15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	9,55.98	निरंक	9,55.98	5,26.85	निरंक	5,26.85
16	वेतन भत्ते – अखिल भारतीय सेवाएं	1,38.63	1.53	1,40.16	1,38.17	1.52	1,39.69
17	मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते	26.93	निरंक	26.93	27.74	निरंक	27.74
18	राज्यपाल, उच्च न्यायालय, न्यायालय, लोकायुक्त, अभिकरण, राज्य चुनाव एवं सूचना आयोग के वेतन एवं भत्ते आदि	2,89.20	निरंक	2,89.20	2,75.24	निरंक	2,75.24
19	कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन	11,60.35	1,01.79	12,62.14	11,97.94	1,16.11	13,14.05
21	यात्रा भत्ता	1,61.65	2.17	1,63.82	1,80.89	2.65	1,83.54
22	कार्यालय व्यय	9,29.84	11.65	9,41.49	8,90.11	10.21	9,00.32
23	वाहनों का क्रय	21.98	4.44	26.42	33.43	निरंक	33.43
24	परीक्षा तथा प्रशिक्षण	1,45.29	1.85	1,47.14	2,12.81	1.76	2,14.57
25	बिस्तरीय वस्त्र एवं शामियाना	2.76	निरंक	2.76	3.19	निरंक	3.19
26	संगोष्ठी, कार्यशाला एवं सम्मेलन	9.35	0.25	9.60	19.12	निरंक	19.12
27	सूक्ष्म सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	38.98	निरंक	38.98	26.49	निरंक	26.49
31	पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	26,38.80	10.88	26,49.68	22,62.59	9.69	22,72.28
32	लघु निर्माण कार्य	88.46	12,79.82	13,68.28	45.57	16,72.39	17,17.96
33	अनुरक्षण	12,84.66 ^(क)	84.46	13,69.12	15,03.07	86.24	15,89.31
34	सामग्री एवं आपूर्ति	40,66.98	1,32.39	41,99.37	39,36.77	68.99	40,05.76
35	विज्ञापन तथा प्रचार	2,79.54	0.11	2,79.65	3,67.60	0.23	3,67.83
36	विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर व्यय	0.55	निरंक	0.55	0.16	निरंक	0.16
37	मेला, उत्सव एवं प्रदर्शनी	19.45	निरंक	19.45	29.98	निरंक	29.98
41	शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	23,93.68	निरंक	23,93.68	18,37.34	0.01	18,37.35
42	सहायता अनुदान	6,41,87.11 ^(ख)	2,57.04	6,44,44.15	5,31,41.94	5,41.41	5,36,83.35

(क) यह परिशिष्ट-X के नीचे दर्शाए गए राजस्व अनुभाग के योग से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां लेखाओं में केवल निर्माण विभाग से संबंधित आंकड़े लिए गए हैं।

(ख) विवरण पत्रक संख्या 4 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से भिन्न है। विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4 के आंकड़ों से भिन्न है।

विवरण पत्रक संख्या 4 – समाप्त

ख : प्रकृति अनुसार व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2019-20			2018-19		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
43	अंशदान	9,32.49	2.97	9,35.46	7,63.36	0.84	7,64.20
44	राजसहायता	1,26,41.50	निरंक	1,26,41.50	2,12,22.13	निरंक	2,12,22.13
45	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये सहायता अनुदान	5,76.53 ^(क)	2,37.64	8,14.17	5,36.75	2,07.95	7,44.70
50	प्रतिकर का भुगतान	30.61	निरंक	30.61	निरंक	निरंक	निरंक
51	अन्य प्रभार	7,01.33	4,33.93	11,35.26	6,43.40	2,09.01	8,52.41
52	ब्याज/लाभांश का भुगतान	1,42,50.48	निरंक	1,42,50.48	1,27,13.71	निरंक	1,27,13.71
53	डिक्री धन का भुगतान	13.48	0.63	14.11	6.89	3.90	10.79
54	क्षतिपूर्ति	24.48	33.77	58.25	43.45	70.63	1,14.08
55	उचंचत	0.05	निरंक	0.05	1.53	निरंक	1.53
56	गुप्तचर सेवा व्यय	8.24	निरंक	8.24	8.54	निरंक	8.54
58	कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	0.04	निरंक	0.04	0.88	निरंक	0.88
59	मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	14.15	निरंक	14.15	40.70	निरंक	40.70
61	सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार एवं रूपांकित करना	1.87	11.13	13.00	1.47	56.31	57.78
62	भूमि तथा भवन का क्रय	1.10	21.22	22.32	निरंक	2.60	2.60
63	मशीनरी	35.57	3,64.98	4,00.55	2,89.85	2,77.34	5,67.19
64	मुख्य निर्माण कार्य	1.15	2,36,03.43	2,36,04.58	5.20	2,17,90	2,17,95.20
65	निवेश	निरंक	10,88.39	10,88.39	82.34	33,26.67	34,09.01
67	ऋण एवं अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	11.40	निरंक	11.40
68	वार्षिक वृत्ति (एन्यूटी)	निरंक	9,16.20	9,16.20	निरंक	9,06.00	9,06.00
73	अंतर लेखा हस्तांतरण	38,13.28	निरंक	38,13.28	22,34.13	निरंक	22,34.13
74	वसूलियाँ	(-) 31,87.85	निरंक	(-) 31,87.85	(-) 10,67.98	(-) 5,74.35	(-) 16,42.33
	अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	1.17	निरंक	1.17
	योग	15,04,44.30	2,92,41.48	17,96,85.78	14,21,49.21	2,94,24.19	17,15,73.40

(क) विवरण पत्रक संख्या 4 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से भिन्न है।
विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4 के आंकड़ों से भिन्न है।

5 – प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक का प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	(₹ करोड़ में) प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
क	सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3,69.87	17,63.57	5,53.85	23,17.42	50
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.47	12.14	0.07	12.21	(-) 85
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,47.73	27,84.52	4,06.46	31,90.98	17
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.62	1,20.60	21.65	1,42.25	369
	योग – क – सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	7,22.69	46,80.83	9,82.03	56,62.86	36
ख	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा –					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	9,42.35	53,94.42	14,90.25	68,84.67	58
	योग – (क) – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	9,42.35	53,94.42	14,90.25	68,84.67	58
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	12,17.72	46,51.18	10,96.31	57,47.49	(-) 10
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	53.58	निरंक	53.58	--
	योग – (ख) – स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	12,17.72	47,04.76	10,96.31	58,01.07	(-) 10
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	20,06.14	1,19,84.08	23,99.85	1,43,83.93	20
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	48.70	8,03.24	57.83	8,61.07	19
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	6,77.65	32,05.64	7,82.18	39,87.82	15
	योग – (ग) – जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	27,32.49	1,59,92.96	32,39.86	1,92,32.82	19
(घ)	सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा –					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.67	3.44	निरंक	3.44	(-) 100
	योग – (घ) – सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	0.67	3.44	निरंक	3.44	(-) 100
(ङ)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7,38.17	65,09.08	9,82.48	74,91.56	33
	योग – (ङ) – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	7,38.17	65,09.08	9,82.48	74,91.56	33
(च)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा –					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	29.37	14,42.15	70.22	15,12.37	139
	योग – (च) – समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	29.37	14,42.15	70.22	15,12.37	139
(ज)	अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	58.56	4,02.56	42.86	4,45.42	(-) 27
	योग – (ज) – अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	58.56	4,02.56	42.86	4,45.42	(-) 27
	योग – ख – सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	57,19.33	3,44,49.37	69,21.98	4,13,71.35	21

विवरण संख्या 5 – जारी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक का प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	(₹ करोड़ में) प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग	आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे –					
(क)	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा –					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	5,80.37	निरंक	5,80.37	--
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,91.09	निरंक	1,91.09	--
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.38	1,25.75	4.07	1,29.82	(-) 51
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	5.49	निरंक	5.49	--
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	11.96	निरंक	11.96	--
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	8,36.86	22,46.03	5,37.55	27,83.58	(-) 36
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	1.84	2,39.18	0.28	2,39.46	(-) 85
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1.90	निरंक	1.90	--
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	10,32.20	14,92.90	4.73	14,97.63	(-) 100
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	8.01	निरंक	8.01	--
	योग – (क) – कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	18,79.28	49,02.68	5,46.63	54,49.31	(-) 71
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	32,18.49	1,98,91.23	44,52.28	2,43,43.51	38
	योग – (ख) – ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	32,18.49	1,98,91.23	44,52.28	2,43,43.51	38
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा –					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	64,19.06	4,54,23.42	75,09.23	5,29,32.65	17
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9,24.87	1,00,32.79	9,45.05	1,09,77.84	2
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9,32.07	1,31,36.78	4,80.70	1,36,17.48	(-) 48
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,00.24	13,94.89	55.97	14,50.86	(-) 44
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.15	1,33.78	4.99	1,38.77	132
	योग – (घ) – सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	83,78.39	7,01,21.66	89,95.94	7,91,17.60	7
(ङ)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा –					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	22,72.48	3,15,47.38	5,62.29	3,21,09.67	(-) 75
4810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	निरंक	0.20	निरंक	0.20	--
	योग – (ङ) – ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	22,72.48	3,15,47.58	5,62.29	3,21,09.87	(-) 75
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	68.79	27,63.59	2,55.15	30,18.74	271
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	49.10	निरंक	49.10	--
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.20	20.43	1.06	21.49	(-) 12
4854	सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.02	निरंक	0.02	--
4858	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.13	निरंक	0.13	--
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	8.78	निरंक	8.78	--
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,02.50	5,18.52	3,09.14	8,27.66	53
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	निरंक	4,68.58	निरंक	4,68.58	--
	योग – (च) – उद्योगों तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	2,72.49	38,29.15	5,65.35	43,94.50	107

विवरण संख्या 5 – समाप्त

		(₹ करोड़ में)				
मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक का प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग	आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे –					
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा –					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	3.28	3,83.16	9.71	3,92.87	196
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	68,88.56	4,20,76.52	61,45.82	4,82,22.34	(-) 11
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,16.81	निरंक	1,16.81	--
	योग – (छ) – परिवहन का पूंजीगत लेखा	68,91.84	4,25,76.49	61,55.53	4,87,32.02	(-) 11
(झ)	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा –					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.25	1,16.69	निरंक	1,16.69	(-) 100
	योग – (झ) – विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	2.25	1,16.69	निरंक	1,16.69	(-) 100
(ञ)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	66.95	10,28.84	59.45	10,88.29	(-) 11
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	निरंक	0.03	निरंक	0.03	--
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	13.00	निरंक	13.00	--
	योग – (ञ) – सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	66.95	10,41.87	59.45	11,01.32	(-) 11
	योग – ग – आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे	2,29,82.17	17,40,27.35	2,13,37.47	19,53,64.82	(-) 7
	महायोग	2,94,24.19	21,31,57.55	2,92,41.48	24,23,99.03	(-) 1

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने ₹ 11,33.42^(क) करोड़ विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशित किए (सांविधिक निगमों की अंशपूंजी में ₹ 7,78.69 करोड़, सरकारी कम्पनियों में ₹ 3,63.67 करोड़ का निवेश, तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 8.94 करोड़ का विनिवेश)।
- वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अंत में सरकार का, विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 3,52,40.10 करोड़ तथा ₹ 3,63,73.52 करोड़ था। ₹ 3,63,73.52 करोड़ के निवेश के विरुद्ध वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ने ₹ 4,75.96 करोड़ (निवेश का 1.31 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त किया।
ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

(क) निवल निवेश की राशि ₹ 11,33.42 करोड़ (सकल निवेश ₹ 11,47.08 एवं विनिवेश ₹ 13.66 करोड़)

6 – उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों^(क) का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2019 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31मार्च, 2020 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का प्रतिशत
					राशि	प्रतिशत	
(क) लोक ऋण –							
6003 – राज्य सरकार का आंतरिक ऋण –							
बाजार ऋण	9,88,17.33	2,23,71.39	58,21.01	11,53,67.71	1,65,50.38	16.75	50.04
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	74,07.60	निरंक	47.16	73,60.44	(-) 47.16	0.64	3.19
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	99,03.08	19,77.99	16,67.85	1,02,13.22	3,10.14	3.13	4.43
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,38,81.30	51,47.11	21,77.04	2,68,51.37	29,70.07	12.44	11.65
योग – राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	14,00,09.31	2,94,96.49	97,13.06	15,97,92.74	1,97,83.43	14.13	69.30
6004 – केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम							
01 योजनेत्तर ऋण	28.28	निरंक	3.55	24.73	(-) 3.55	(-) 12.55	0.01
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए ऋण	1,73,58.45	निरंक	12,17.01	1,61,41.44	(-) 12,17.01	(-) 7.01	7.00
07 1984-85 से पूर्व के ऋण	1.88	निरंक	निरंक	1.88	निरंक	निरंक	निरंक
09-राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	निरंक	48,67.92	निरंक	48,67.92	48,67.92	निरंक	2.11
योग – केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1,73,88.61	48,67.92	12,20.56	2,10,35.97	36,47.36	20.98	9.12
योग – लोक ऋण	15,73,97.92	3,43,64.41	1,09,33.62	18,08,28.71	2,34,30.79	14.89	78.43

^(क) विस्तृत लेखा विवरण संख्या 17 और 21 में है।

विवरण संख्या 6 – जारी
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2019 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31मार्च, 2020 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का प्रतिशत
(ख) अन्य दायित्व –							
लोक लेखा –							
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,65,77.32	50,84.92	26,28.50	1,90,33.74	24,56.42	14.82	8.26
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	75.43	83,11.82	31,87.33	51,99.92	51,24.49	67,93.70	2.26
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	59,98.52	7,01.19	0.05	66,99.66	7,01.14	11.69	2.91
ब्याज वाली जमा	(-) 31.53	0.33	13.24	(-) 44.44 ^(क)	(-) 12.91	40.95	(-) 0.02
बिना ब्याज वाली जमा	1,42,91.74	3,71,50.32	3,25,88.14	1,88,53.92	45,62.18	31.92	8.18
योग – अन्य दायित्व	3,69,11.48	5,12,48.58	3,84,17.26	4,97,42.80	1,28,31.32	34.76	21.57
योग – लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	19,43,09.40	8,56,12.99	4,93,50.88	23,05,71.51	3,62,62.11	18.66	100.00

विभिन्न बाजार ऋणों में अंशदान के बतौर प्राप्त राशि एवं निक्षेप शीर्ष में रही राशि वर्ष के अंत में (मुख्य शीर्ष 8449—अन्य जमा) ₹ 0.13 लाख थी।

राज्य विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता हो, जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उधार ले सके।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण :- इसमें खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण, स्रोत अन्तरों को पूरा करने के लिये अस्थायी रूप की उधारियां तथा सरकार द्वारा स्वशासी निकायों से प्राप्त किए गए ऋण सम्मिलित है।

खुले बाजार से ऋण :- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए वे समस्त ऋण जो बारह मास से अधिक समय तक चालू रहते हैं, इस ऋण श्रेणी के अन्तर्गत समूहीकृत किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नलिखित ऋण जारी किए :- ₹ 5,00.00 करोड़ (9.30 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2023), ₹ 5,00.00 करोड़ (7.18 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2022), ₹ 10,00.00 करोड़ (8.60 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2023), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.61 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2029), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.59 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2029), ₹ 20,00.00 करोड़ (7.13 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2029), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.23 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2039), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.17 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2029), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.21 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2034), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.17 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.18 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.29 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.09 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.94 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.98 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.12 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.19 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2040), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.04 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 10,00.00 करोड़ (6.89 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 6,21.39 करोड़ (7.29 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2035), ₹ 5,00.00 करोड़ (7.11 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2030), ₹ 7,50.00 करोड़ (6.99 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 7,50.00 करोड़ (6.49 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 7,50.00 करोड़ (7.35 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2029) सममूल्य पर। ऋण पर वार्षिक ब्याज 9.30, 7.18, 8.60, 7.61, 7.59, 7.13, 7.23, 7.17, 7.21, 7.17, 7.18, 7.29, 7.09, 6.94, 6.98, 7.12, 7.19, 7.04, 6.89, 7.29, 7.11, 6.99, 6.49 और 7.35 प्रतिशत है और वास्तविक मूल्यों पर क्रमशः 2023, 2022, 2023, 2029, 2029, 2039, 2029, 2034, 2035, 2030, 2030, 2030, 2035, 2030, 2035, 2040, 2030, 2035, 2035, 2030, 2024, 2024 और 2029 में प्रतिदेय है। कुल अभिदत्त राशि ₹ 2,23,71.39 करोड़ (रोकड़ : ₹ 2,23,71.39 करोड़, पुनर्भुगतान हेतु देय ऋण में परिवर्तन के कारण : ₹ निरंक) थी।

^(क) ऋणात्मक शेष पुनर्भुगतान के अधीन है।

विवरण संख्या 6 – जारी
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी – जारी

वर्ष 2019–20 के दौरान 8.31 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2019, 8.32 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2019, 8.32 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2020, और 8.54 *प्रतिशत* मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2020 उन्मोचित हुये। वर्ष के अंत में इन ऋणों के विरुद्ध निरंक शेष छोड़ते हुये वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 15,60.00 करोड़, ₹ 15,60.00 करोड़, ₹ 15,53.00 करोड़, और ₹ 11,48.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।

अल्प कालीन उधारियाँ :- इस श्रेणी के ऋण में बारह मासों के अन्दर प्रतिदेय पूर्णतः अस्थाई प्रकार की उधारियाँ, जैसे – भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष के आरंभ में अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ निरंक शेष थे। वर्ष के अंत में ₹ निरंक शेष छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान कोई भी राशि प्राप्त तथा पुनर्भुगतान नहीं की गई। वर्ष के दौरान ब्याज का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। विस्तृत ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिए गए हैं।

स्वायत्त निकायों से ऋण :- उधारियों की इस श्रेणी में सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे कि – भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, आवास और नगरीय विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास मण्डल तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र से प्राप्त किये गए ऋण सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान सरकार ने ऐसे निकायों से ₹ 19,77.99 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त किए और ₹ 17,15.01 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। 31 मार्च 2020 के अंत में इस प्रकार के ऋणों का बकाया शेष ₹ 1,75,73.66 करोड़ था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर सरकार ने ₹ 12,11.97 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किए।

स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों के पूर्ण ब्यौरे विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

परिशोधन हेतु व्यवस्था :- राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन हेतु व्यवस्था, जहां ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हों, केवल राजस्व से करनी चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी ऋण के लिए परिशोधन हेतु व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा है।

लघु बचत निधियों से ऋण :- 'लघु बचत योजना' तथा 'लोक भविष्य निधि' का डाकखानों में संग्रहण से ऋण, को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य 3 : 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 'लघु बचत संग्रहण' से ऋण जारी करने के प्रयोजन से 1999–20 में एक पृथक निधि अर्थात् 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' निर्मित की गई थी। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 51,47.11 करोड़ के ऋण प्राप्त किये गये तथा वर्ष के दौरान ₹ 21,77.04 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 2,68,51.37 करोड़ शेष बकाया था, जो कि 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का 11.65 *प्रतिशत* था।

भारत सरकार से ऋण :- 31 मार्च 2020 को भारत सरकार से प्राप्त ऋण कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का 9.12 *प्रतिशत* था।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से लिये गए ऋणों के ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिये गए हैं।

वर्ष के दौरान भारत सरकार से ऋण के रूप में ₹ 48,67.92 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान कर्ज के पुनर्भुगतान के रूप में ₹ 12,20.56 करोड़ का भुगतान तथा ब्याज के रूप में ₹ 9,15.15 करोड़ का भुगतान किया।

पुनर्वास ऋण :- विस्थापित तथा वापस लौटे इत्यादि व्यक्तियों के 'पुनर्वास' के लिए ऋणों के प्रकरण में, 1974 से पूर्व के ऋण तथा 1974–75 से 1983–84 के वर्षों के दौरान प्राप्त पुनः ऋण माफ किये गए तथा 31 मार्च 1989 को शेष को भारत सरकार के आदेशों के अधीन अपलिखित किया जाना है।

विवरण संख्या 6 – समाप्त
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – समाप्त
व्याख्यात्मक टिप्पणी – समाप्त

ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :- बकाया सकल ऋण, अन्य दायित्वों तथा 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान राजस्व से पूरे किए गए ब्याज प्रभारों की निवल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं :-

	2019-20	2018-19	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)			
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व –			
(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	19,98,62.45	17,39,75.23	2,58,87.22
(ख) अन्य दायित्व	3,07,09.06	2,03,34.16	1,03,74.90
योग – (i)	23,05,71.51	19,43,09.39	3,62,62.12
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज –			
(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	1,42,14.38	1,26,95.54	13,64.92
(ख) अन्य दायित्वों पर	2.14	0.15	1.99
योग – (ii)	1,42,16.52	1,26,95.69	13,66.91
(iii) घटाएँ –			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	1,30.43	2,34.65	(-) 1,04.22
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,45.29	1,46.45	(-) 1.16
योग – (iii)	2,75.72	3,81.10	(-) 1,05.38
(iv) निवल ब्याज प्रभार (ii) – (iii)	1,39,40.80	1,23,14.59	16,26.21
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता	9.63	8.53	1.10
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता	9.44	8.27	1.17

इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्राप्तियाँ तथा कुल समायोजन थे जिनका कुल योग ₹ 1,66.82 करोड़ था, जैसे – वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, बकाया राजस्व पर ब्याज एवं 'विविध' लेखा पर ब्याज। अगर यह भी घटाया जाता है तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 1,37,73.98 होगा जो कि राजस्व प्राप्ति का 9.33 प्रतिशत है।

राज्य सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में निवेश के विरुद्ध लाभांश के रूप में वर्ष के दौरान ₹ 4,75.96 करोड़ प्राप्त किए।

7 – सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक

अनुभाग – 1 ऋणों और अग्रिमों का सार : ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम ^(क)	31 मार्च 2020 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि/कमी (6-2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि ^(ख)
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	2,18.85	46.27	0.06	--	2,65.06	46.21	--
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम	4,38.81	3,11.84	35.74	--	7,14.91	2,76.10	--
शहरी विकास प्राधिकरण	16,42.68	निरंक	निरंक	--	16,42.68	निरंक	--
गृह निर्माण मण्डल	1,75.49	निरंक	निरंक	--	1,75.49	निरंक	--
राज्य गृह निर्माण निगम	0.51	निरंक	निरंक	--	0.51	निरंक	--
पंचायती राज संस्थान	0.77	निरंक	निरंक	--	0.77	निरंक	--
सांविधिक निगम	62,90.98	निरंक	निरंक	--	62,90.98	निरंक	--
सरकारी कंपनियां	2,51,93.45	3,28.40	निरंक	--	2,55,21.85	3,28.40	--
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	14,89.32	1,13.07	8.60	--	15,93.79	1,04.47	--
अन्य	66,73.82	1,87.58	1.44	--	68,59.96	1,86.14	--
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	19.13	निरंक	0.02	--	19.11	(-) 0.02	--
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	निरंक	--	0.04	निरंक	--
योग – ऋण और अग्रिम	4,21,43.85	9,87.16	45.86	--	4,30,85.15	9,41.30	--

(क) राज्य सरकार ने ऋण को बट्टे खाते डालने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 7 – समाप्त

‘निरन्तर ऋण’^(क) के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण निम्नानुसार हैं :-

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	ऋणी इकाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज की दर
1	2	3	4	5	6

अनुभाग – 2 ऋणों और अग्रिमों का सार : क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़े खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम ^(ख)	31 मार्च 2020 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि/कमी (6-2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि ^(क)
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवायें	13,04.35	निरंक	1.35	--	13,03.00	(-) 1.35	--
सामाजिक सेवायें	25,59.67	3,58.11	35.80	--	28,81.98	3,22.31	--
आर्थिक सेवायें	3,82,60.66	6,29.05	8.69	--	3,88,81.02	6,20.36	--
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	19.13	निरंक	0.02	--	19.11	(-) 0.02	--
विविध प्रयोजनों के लिये ऋण	0.04	निरंक	निरंक	--	0.04	--	--
योग – ऋण और अग्रिम	4,21,43.85	9,87.16	45.86	--	4,30,85.15	9,41.30	--

टीप :- विस्तृत विवरण के लिए विवरण पत्रक संख्या 18 के अनुभाग एक – राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का संदर्भ लें।

अनुभाग – 3 ऋणी इकाईयों से बकाया पुनर्भुगतान का सार^(क) :

(₹ करोड़ में)

ऋणी इकाईयां	दिनांक 31 मार्च 2020 को बकाया राशि			सबसे पूर्व का वर्ष जिससे बकाया राशि सम्बन्धित है	इकाई के विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2020 को ऋण की बकाया राशि
	मूलधन	ब्याज	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.

(क) राज्य सरकार ने ऋण को बढ़ते खाते डालने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

8 – सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक

सरकार का विभिन्न संस्थानों की अंश पूंजी तथा ऋण-पत्रों में 2018-19 तथा 2019-20 में निवेश का तुलनात्मक सारांश
(₹ करोड़ में)

	संस्थान का नाम	2019-20			2018-19		
		संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम ^(क)	35	1,00,38.35	4,65.72	34	92,59.66	2,73.50
2	सरकारी कंपनियाँ	41	2,47,13.23	10.22	41	2,43,49.56	73.71
3	संयुक्त पूंजी कंपनियाँ और साझेदारियाँ	24	1.31	0.02	24	1.31	0.02
4	बैंक	01	निरंक ^(ख)	निरंक	01	निरंक ^(ख)	निरंक
5	सहकारिताएँ	130	16,20.63	निरंक	130	16,29.57	0.03
	योग	231	3,63,73.52	4,75.96	230	3,52,40.10	3,47.26

(क) वर्ष 2019-20 के दौरान सांविधिक निगम के अंतर्गत 'म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड' नामक नया संस्थान जोड़ा गया है।

(ख) ऊपर दिये सरल क्रमांक 4 'बैंक' के समक्ष निवेश के आंकड़े नहीं दर्शाये गये हैं क्योंकि इस विवरण पत्रक में आंकड़े 'करोड़' रुपये में दर्शाये गये हैं।

9 – सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण आदि के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां एवं दिनांक 31 मार्च 20120 को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बकाया प्रत्याभूतियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

प्रतिभूतियों का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	01.04.2019 की स्थिति में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		31.03.2020 की स्थिति में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित नहीं की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रेणी-1										
विद्युत (17)	54,96.17	66,75.28	25,00.00	63,57.45	निरंक	निरंक	28,17.83	51.90	1.50	निरंक
सहकारिता (निरंक)	निरंक	5,91.58	निरंक	5,91.58	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
राज्य वित्तीय निगम (17)	12,00.00	7,63.00	निरंक	1,48.49	निरंक	निरंक	6,14.51	2.00	निरंक	निरंक
शहरी विकास एवं आवास (378)	70,10.70	31,30.99	8,11.50	1,03.49	निरंक	निरंक	38,39.00	10.69	0.53	निरंक
अन्य (131)	2,93,09.80	1,96,02.54	2,32,23.06	1,91,67.39	निरंक	निरंक	2,36,58.21	0.13	निरंक	निरंक
योग (543)	4,30,16.67	3,07,63.39	2,65,34.56	2,63,68.40	निरंक	निरंक	3,09,29.55	64.72	2.03	निरंक

10 – सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक

1. वर्ष 2019–20 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त निधियों एवं परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधियों का विवरण :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			स्तम्भ क्र.2 के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधि		
	(1)	(2)		(3)		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग
पंचायती राज संस्थान	89,57.17	98,71.77	1,88,28.94	निरंक	निरंक	निरंक
शहरी स्थानीय निकाय	56,77.70	5,26.58	62,04.28	4,50.17	निरंक	4,50.17
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	93.50	निरंक	93.50	निरंक	निरंक	निरंक
स्वायत्त निकाय	2,13.54	28,85.53	30,99.07	निरंक	निरंक	निरंक
अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.)	5,89.52	99.51	6,89.03	निरंक	निरंक	निरंक
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	2,75,90.29	87,53.22	3,63,43.51	1,80.08	1,83.92	3,64.00
योग	4,31,21.72	2,21,36.61	6,52,58.33	6,30.25	1,83.92	8,14.17

2. वस्तुरूप में सहायता अनुदान एवं पूंजीगत प्रकृति की परिसम्पत्तियों के वस्तु के रूप में सहायता अनुदान के कुल मूल्य का विवरण:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	वस्तुरूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजीगत प्रकृति की परिसम्पत्तियों के रूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य
(1)	(2)	(3)
निरंक	निरंक	निरंक

11 – दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2019-20			2018-19		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,56,87.62	13,47,56.68 ^(क)	15,04,44.30	1,45,37.10	12,76,12.11	14,21,49.21
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	0.63	2,92,40.85	2,92,41.48	3.94	2,94,20.25	2,94,24.19
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अंतर्राज्यीय परिशोधन तथा आकस्मिकता निधि को अंतरण के अन्तर्गत संवितरण ^(ख)	1,09,33.62	9,86.53	1,19,20.15	1,35,23.72	10,90.71	1,46,14.43
योग	2,66,21.87	16,49,84.06	19,16,05.93	2,80,64.76	15,81,23.07	18,61,87.83
क – ये आंकड़े इस प्रकार निकाले गये हैं :-						
ड लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	97,13.06 ^(ख)	निरंक	97,13.06	1,23,75.49	निरंक	1,23,75.49
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	12,20.56 ^(ख)	निरंक	12,20.56	11,48.23	निरंक	11,48.23
च ऋण तथा उधार^(ग) –						
सामान्य सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	65.00	65.00
सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	3,58.11	3,58.11	निरंक	2,54.41	2,54.41
आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	6,29.04	6,29.04	निरंक	7,70.25	7,70.25
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
छ अंतर्राज्यीय परिशोधन –						
अंतर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	(-) 0.62	(-) 0.62	निरंक	1.05	1.05
ज आकस्मिकता निधि को अंतरण –						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	1,09,33.62	9,86.53	1,19,20.15	1,35,23.72	10,90.71	1,46,14.43

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत निम्नानुसार था :-

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2018-19	15.07	84.93
2019-20	13.89	86.11

(क) 'डिफ़ी धन का भुगतान' से संबंधित ₹ 0.11 करोड़ शामिल है, जो प्रभारित व्यय के अंतर्गत आता है।

(ख) यद्यपि मुख्यशीर्ष 6003 तथा 6004 के अंतर्गत व्यय, प्रभारित व्यय है। इसको छोड़कर, अन्य संबंधित विवरण पत्रकों में तदनुसार यह नहीं दर्शाया गया है।

(ग) विस्तृत ब्यौरेवार लेखे विवरण सं. 18 में दिये गए हैं।

12 – राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्र वार)			
सामान्य सेवाएं	46,80.83	9,82.03	56,62.86
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	53,94.42	14,90.25	68,84.67
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	47,04.76	10,96.31	58,01.07
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,59,92.96	32,39.86	1,92,32.82
सूचना एवं प्रसारण	3.44	निरंक	3.44
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	65,09.08	9,82.48	74,91.56
समाज कल्याण तथा पोषण	14,42.15	70.22	15,12.37
अन्य सामाजिक सेवाएं	4,02.56	42.86	4,45.42
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	49,02.68	5,46.63	54,49.31
ग्रामीण विकास	1,98,91.23	44,52.28	2,43,43.51
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,01,21.66	89,95.94	7,91,17.60
ऊर्जा	3,15,47.58	5,62.29	3,21,09.87
उद्योग तथा खनिज	38,29.15	5,65.35	43,94.50
परिवहन	4,25,76.57 ^(क)	61,55.53	4,87,32.10
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1,16.69	निरंक	1,16.69
सामान्य आर्थिक सेवाएं	10,41.87	59.45	11,01.32
योग-पूँजीगत व्यय	21,31,57.63	2,92,41.48	24,23,99.11

(क) अगले पृष्ठ पर कटौती अंशदान आदि के रूप में दिखाए गए आरक्षित निधि से ₹ 0.08 करोड़ का अंशदान शामिल है।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय – समाप्त			
ऋण एवं अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिये ऋण एवं अग्रिम–			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति,	2,17.19	46.21	2,63.40
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	22,91.54	2,76.10	25,67.64
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	42.57	निरंक	42.57
समाज कल्याण तथा पोषण	3.02	निरंक	3.02
अन्य (सामान्य एवं सामाजिक सेवायें)	13,09.71	(-) 1.35	13,08.36
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	23,64.67	1,04.46	24,69.13
ग्रामीण विकास	1.59	निरंक	1.59
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	14.78	निरंक	14.78
ऊर्जा	3,31,62.07	3,28.40	3,34,90.47
उद्योग तथा खनिज	26,45.62	1,87.50	28,33.12
परिवहन	71.83	निरंक	71.83
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.09	निरंक	0.09
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	19.13	(-) 0.02	19.11
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	0.04
योग-ऋण एवं अग्रिम	4,21,43.85	9,41.30	4,30,85.15
घटाएं			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान ^(क)	6,33.35	13.66	6,47.01
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	0.08	निरंक	0.08
निवल – पूँजीगत तथा अन्य व्यय	25,46,68.05	3,01,69.12	28,48,37.17

(क) विनिवेश की प्राप्तियाँ/पूँजी की निवृत्ति।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
निधियों के मुख्य स्रोत –			
2019-20 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	निरंक ^(क)	(-) 28,00.95	निरंक
जोड़ें – निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन ^(ख)	(-) 2,94.49	निरंक	(-) 3,08.15
ऋण –			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	14,00,09.31	1,97,83.43	15,97,92.74
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	1,73,88.60	36,47.37	2,10,35.97
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,65,77.32	24,56.41	1,90,33.73
योग-ऋण	17,39,75.23	2,58,87.21	19,98,62.44
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	5,00.00	निरंक	5,00.00
आरक्षित निधियां	64,90.37	58,25.63	1,23,16.00
जमा एवं अग्रिम	1,42,56.80	45,49.19	1,88,05.99
उचन्त एवं विविध (सरकारी लेखों को संवृत्त राशि तथा रोकड़ शेष निवेश लेखा तथा मध्य भारत रेलवे तथा मिलिट्री निधियों के निवेश लेखे को छोड़कर)	6,52.98	(-) 15,49.28	(-) 8,96.30
प्रेषण	22,29.91	(-) 68.54	21,61.37
योग-अन्य दायित्व	2,41,30.06	87,57.00	3,28,87.06
योग-ऋण तथा अन्य दायित्व	19,81,05.29	3,46,44.21	23,27,49.50
<i>घटाएं</i> : रोकड़ शेष	(-) 36,63.52	(-) 9,59.76	(-) 46,23.28
<i>घटाएं</i> : निवेश	90,54.63	26,31.72	1,16,86.35
जोड़ें – 2019-20 के दौरान सरकारी लेखों को संवृत्त राशि	निरंक	(-) 2.56	निरंक
2019-20 के लिये अन्तर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	0.37	निरंक
निधियों का निवल प्रावधान	19,24,19.69	3,01,69.11	22,53,78.28

(क) यह शीर्ष सरकारी लेखाओं को संवृत्त होता है।

(ख) पंक्ति मद के अंतर्गत राशि विवरण को संतुलित करने के लिये शामिल की गई है।

विवरण संख्या 12 – समाप्त

2018-19 के अंत तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय एवं 2018-19 के अंत तक निधियों के मुख्य स्रोत के योग में अंतर को नीचे स्पष्ट किया गया है :-

(₹ करोड़ में)

प्रगामी निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	28,48,37.17
प्रगामी निधियों के मुख्य स्रोत	22,53,78.28
अंतर	5,94,58.89
संचयी राजस्व आधिक्य	6,08,16.93
सरकारी लेखों को बंद राशि	(-) 44.43
अंतर्राज्यीय परिशोधन 2001-02, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19 तथा 2019-20	(-) 5.77
पूर्णांकन के कारण अंतर 2000-01	(-) 0.01
छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19	9,19.40
2006-07, 2015-16, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में विनिवेश के कारण मुख्य शीर्ष 4000-01-800 में वर्गीकृत करने के कारण पूंजीगत व्यय से प्रोफार्मा कमी की गई	(-) 49.65
छत्तीसगढ़ को आवंटन तथा स्वीकृति में संशोधन के कारण पूंजीगत शीर्षों में कमी की गई	(-) 27,67.59
8011-105 में प्रोफार्मा कमी	2.49
8121-115 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 76.13
8121-122 में प्रोफार्मा कमी	9,98.53
8235-111 में प्रोफार्मा कमी	1,62.84
8658-112 में प्रोफार्मा कमी	3.82
8658-113 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 1.54
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-) 500.00
योग	5,94,58.89

13 – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक

			(₹ करोड़ में)
नामे शेष	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
18,26,01.30 ^(क)	क से घ, छ, ज और ठ का अंश (मुख्यशीर्ष 8680 केवल)	समेकित निधि – शासकीय लेखे	
	ड	लोक ऋण	18,08,28.71
4,30,85.15	च	ऋण तथा अग्रिम	
		आकस्मिकता निधि–	
		आकस्मिकता निधि	5,00.00
		लोक लेखा–	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,90,33.74
	ज	आरक्षित निधियाँ–	
		ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	
		सकल शेष	51,99.92
		बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	
		सकल शेष	71,16.08
4,16.42	ट	निवेश	
		जमा तथा अग्रिम–	
		(i) ब्याज वाली जमा	(-) 44.45
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	1,88,53.92
		(iii) अग्रिम	
	ठ	उचन्त तथा विविध–	
		निवेश	
		अन्य मदें (निवल)	(-) 8,96.05
3.48		प्रेषण	21,61.37
1,12,70.17		रोकड़ शेष	
(-) 46,23.28 ^(ख)	ड		
	ढ		
23,27,53.24		योग	23,27,53.24

(क) विवरण के लिए कृपया आगामी पृष्ठ पर पैरा एवं उसके नीचे की तालिका देखें।

(ख) विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरण पत्रक-2 के अनुलग्नक के नीचे पाद टिप्पणी (ख) देखें।

विवरण संख्या 13 – समाप्त

सरकारी लेखा :- सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अंतर्गत राजस्व, पूंजीगत शीर्षों तथा सरकार के अन्य लेन-देनों के अंतर्गत अंकित की जाने वाली राशियाँ जिनके शेष प्रतिवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते हैं, को 'सरकारी लेखा' नामक एकल शीर्ष को संवरित किये जाते हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होते हैं, वे ऐसे सभी लेन-देनों के संचयी परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा तथा अग्रिम, उचंत तथा विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण तथा आकस्मिकता निधि आदि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अंत में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और प्रमाणित किया जाता है।

इस सारांश के शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत आने वाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है, जिनके संबंध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिये बहियों में खोले गये लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह भी समझ लेना चाहिये कि, ये शेष सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की समस्त भौतिक परिसम्पतियों यथा-भूमि, भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं करते हैं, न ही कोई उपाजित-देय राशियाँ अथवा बकाया दायित्व, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नकद आधार की लेखा विधि के अंतर्गत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के अंत में सरकारी लेखे के नामे निवल राशि निम्नानुसार निकाली गई है :-

(₹ करोड़ में)

नामे	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे के नाम	जमा
15,05,70.34	क	1 अप्रैल, 2019 को सरकारी लेखे का नामे शेष	निरंक
निरंक	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	14,76,43.35
निरंक	ग	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	13.66
15,04,44.30 ^(क)	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	निरंक
2,92,41.48	ङ	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	निरंक
(-) 0.62	च	अंतर्राज्यीय परिशोधन (मु.शी. 7810)	(-) 0.25
2.56	छ	उचंत तथा विविध	निरंक
निरंक	ज	आकस्मिकता निधि का अंतरण (मु.शी. 7999)	निरंक
निरंक		31 मार्च, 2020 को सरकारी लेखे के नामे शेष	18,26,01.30
33,02,58.06		योग	33,02,58.06

टीप :-

- कई प्रकरणों में अंतशेषों में मिलान न हो पाने वाले अंतर हैं। विसंगतियों को दूर करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
- संबंधित अधिकारियों को प्रतिवर्ष उनके सत्यापन और स्वीकारोक्ति हेतु शेष संप्रेषित किये जाते हैं। अधिकतर प्रकरणों में ऐसी स्वीकारोक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(क) ₹ 15,36,32.15 करोड़ के सकल राजस्व व्यय में से पुनर्प्राप्तियों की राशि ₹ 31,87.85 करोड़ घटाने पर यह परिणाम है। (संदर्भ – विनियोग लेखे का परिशिष्ट-I)

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. विशिष्ट लेखांकन नीतियों का सारांश :-

(i) **अस्तित्व एवं लेखांकन अवधि** :- ये लेखे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के मध्यप्रदेश सरकार के लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार के प्राप्ति और व्यय के लेखों को प्रारंभिक लेखा रखने वाले 57 जिला कोषालयों, 401 लोक निर्माण संभागों (124 जल संसाधन, 133 लोक निर्माण जिसमें 82 मण्डल तथा 51 परियोजना इकाइयाँ, 72 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा 72 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के संभाग शामिल हैं), 127 वन संभागों, 60 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित किया जाता है। लेखों की प्राप्ति में विलंब नगण्य था तथा वर्ष के अंत में किसी भी मासिक लेखा को छोड़ा नहीं गया था।

(ii) **लेखांकन का आधार** :- कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद को छोड़कर (अनुलग्नक क), लेखांकन अवधि के दौरान लेखे वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियाँ जैसे निवेश आदि ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाये गये हैं अर्थात् संपत्ति के अर्जन/क्रय के वर्ष में मूल्य पर। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसंपत्तियों की उनके जीवन पर्यन्त तक की हानि भी विस्तारित तथा मान्य नहीं की गई है।

लेखा अवधि के दौरान संवितरित निवृत्ति लाभों को लेखाओं में व्यक्त किया गया है परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व अर्थात् इसके कर्मचारियों की पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं के निवृत्ति लाभों को लेखा में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं** :- मध्यप्रदेश सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा रुपये (₹) में संधारित किए जाते हैं।

(iv) **लेखाओं के प्रपत्र** :- संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रपत्रों में संघ एवं राज्य सरकार के लेखे रखे जाते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रपत्र' व्यापक अर्थों में है जिसमें न केवल विस्तारित प्रपत्र जिनमें लेखे रखे जाते हैं अपितु उपयुक्त शीर्षों के चयन का आधार भी है जिनके अन्तर्गत लेन-देनों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) **राजस्व एवं पूंजीगत के मध्य वर्गीकरण** :- राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का है और राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की और ठोस परिसम्पत्तियों में वृद्धि/अर्जन/उत्पत्ति करने तथा स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक दो (आई.जी.ए.एस.2) के परिप्रेक्ष्य में सहायक अनुदान, प्रदाता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में तथा प्राप्तिकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा राशि ₹ 37.82 करोड़ का व्यय पूंजीगत अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

राजस्व व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण दर्ज की गई राशियाँ

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	राशि
62- भूमि एवं भवन का क्रय	1.10
63- मशीनरी	35.57
64- मुख्य निर्माण कार्य	1.15
योग	37.82

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,248.42 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के बजाय पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

पूंजीगत व्यय के रूप त्रुटिपूर्ण दर्ज की गई राशियां

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	राशि
11- वेतन	251.35
12- मजदूरी	387.41
21- यात्रा भत्ता	2.17
22- कार्यालय व्यय	11.65
24- परीक्षा एवं प्रशिक्षण	1.85
26- सेमीनार, कार्यशाला एवं सम्मेलन	0.25
31- व्यवसायी सेवाओं के लिए भुगतान	10.88
33- रखरखाव	84.46
35- विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	0.11
42- सहायक अनुदान	257.05
43- अंशदान	2.97
45- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये सहायक अनुदान	237.64
53- डिक्री धन का भुगतान	0.63
	योग
	1,248.42
	निवल राशि
	1,210.60

राजस्व एवं पूंजीगत अनुभागों के बीच गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटे को राशि ₹ 1,210.60 करोड़ से कम करके दिखाया गया है। जून 2019 में बजट समीक्षा के दौरान उपरोक्त त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान राज्य सरकार को सूचित किया गया लेकिन 31 मार्च 2020 के अन्त तक सुधार पर्ची जारी नहीं की गई।

(vi) डिक्री धन के भुगतान हेतु त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण :- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112-3 (एफ) के अनुसार 'डिक्री धन का भुगतान' (उद्देश्य शीर्ष 53) को भारत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुदान संख्याओं में उद्देश्य शीर्ष 53 के अन्तर्गत राशि ₹ 14.11 करोड़ का डिक्रीधन का भुगतान किया गया जिसमें से अनुदान संख्या 8, 16, 47 एवं 56 के अन्तर्गत भारत के स्थान पर 'मतदेय' के रूप में ₹ 0.11 करोड़ का बजट प्रावधान के साथ व्यय भी किया गया।

(vii) भारतीय सरकारी लेखा मानकों का अनुपालन :- भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई.जी.ए. एस.) द्वारा संघ तथा राज्य सरकारों के वित्तीय वक्तव्यों में प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। भारत सरकार द्वारा तीन आई.जी.ए.एस. को अधिसूचित किया गया है। इन भारतीय सरकारी लेखा मानकों के परिपेक्ष्य में अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :-

- आई.जी.ए.एस.1** :- सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां : वित्त लेखे में प्रकटीकरण के बारे में आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण वित्त लेखे की विवरण संख्या 9 और 20 में दर्शाया गया है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा आई.जी.ए.एस. 1 का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।
- आई.जी.ए.एस.2** :- सहायक अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण : 'सहायक अनुदान' के अन्तर्गत राशि ₹ 494.69 करोड़ का राजस्व अनुभाग के बजाय पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान के लेखांकन तथा वर्गीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है। तथापि विवरण संख्या 10 को आई.जी.ए.एस. 2 की आवश्यकतानुसार बनाया गया है।
- आई.जी.ए.एस.3** :- सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम : वित्त लेखे में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है। आई.जी.ए.एस.3 की आवश्यकतानुसार विवरण संख्या 7 एवं 18 तैयार किये गये हैं। तथापि राज्य सरकार द्वारा सूचित न किये जाने के कारण "अशोध्य कर्ज तथा अग्रिमों को बट्टे खाते लिखना", "ब्याज भुगतान का बकाया", "नित्यता में ऋण के रूप में स्वीकृत कर्जों के मामले", "ऋणदाता इकाई से बकाया पुनर्भुगतान", वर्ष के दौरान दिये गये नए ऋण तथा अग्रिम" और "कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देन" का प्रकटीकरण नहीं हो सका। इसलिए राज्य सरकार द्वारा आई.जी.ए.एस. 3 का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है।

2. लेखों की गुणवत्ता :-

(i) कोषालयों द्वारा भौतिक प्रमाणक भेजना बंद करना :- वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/2015/नियम/IV दिनांक 26 नवम्बर 2015 के द्वारा कोषालय संहिता भाग-1 एवं 2 में संशोधन किया गया। तदनुसार देयकों की भौतिक प्रतियां कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 01 अक्टूबर 2019 से भेजा जाना बन्द कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भौतिक देयक भेजने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक देयक एवं इलेक्ट्रॉनिक चालान आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये हैं, जिन पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी अथवा कोषालय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इस बात को मध्यप्रदेश शासन के संज्ञान में कई बार लाया जा चुका है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अनुपालन अनिवार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुभाग 3 के अनुसार, 'कोई भी ई-प्रमाणक तब तक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, जब तक कि उस पर डिजिटल हस्ताक्षर न किये गये हों'। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुभाग 4 के अनुसार 'एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी तभी कहा जाता है जबकि ऐसी जानकारी या मामला डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित होता है'। उक्त इलेक्ट्रॉनिक डाटा की सुरक्षा, प्रामाणिकता एवं शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तथापि, समेकित वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) में अभी तक डिजिटल हस्ताक्षर को लागू नहीं किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 07.10.2020 के पत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक देयक एवं इलेक्ट्रॉनिक चालान पर डिजिटल हस्ताक्षर अंकित करने हेतु असहमति व्यक्त की है। चूंकि यह एक वैधानिक आवश्यकता है, अतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यह मामला राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ विचाराधीन है।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) :- वर्ष 2018-19 में राशि ₹ 18,508.50 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत राशि ₹ 20,447.78 करोड़ का संग्रह हुआ, इस प्रकार राशि ₹ 1,939.28 करोड़ (10.48 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें आई.जी.एस.टी. के अग्रिम प्रभाजन की वसूली की राशि ₹ 86.69 करोड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) में से राज्यों को समनुद्दिष्ट निवल आगमों के हिस्से के रूप में ₹ 14,051.51 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश सरकार

को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त हुई है। इस प्रकार जी.एस.टी. के रूप में ₹ 34,499.29 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। राज्य सरकार को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। जी.एस.टी. के क्रियान्वयन के कारण राजस्व में हुई कमी की क्षतिपूर्ति के एवज में राज्य को वर्ष के दौरान ₹ 4,530.78 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

(iii) लघुशीर्ष 800 के अंतर्गत प्रविष्टि – “अन्य प्राप्तियाँ” तथा “अन्य व्यय” :- लघुशीर्ष “अन्य प्राप्तियाँ”/“अन्य व्यय” का परिचालन केवल तब किया जाता है जबकि लेखाओं में उपयुक्त लघुशीर्ष नहीं दिया गया हो। लघुशीर्ष 800 का सामान्य परिचालन निरुत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है। लेखा के राजस्व प्राप्ति शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800 – “अन्य प्राप्तियाँ” के अन्तर्गत संबद्ध मुख्य शीर्षों की दर्ज प्राप्ति ₹ 7,399.14 करोड़ (₹ 1,47,643.35 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्ति का 5.01 प्रतिशत) वर्गीकृत की गई है। इसी प्रकार, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800–“अन्य व्यय” के अंतर्गत संबद्ध मुख्यशीर्षों का दर्ज व्यय ₹ 34,503.04 करोड़ (कुल व्यय राशि ₹ 1,79,685.78 करोड़ का 19.20 प्रतिशत) वर्गीकृत किया गया है। प्राप्ति एवं व्यय के अधिकतर भाग (10 प्रतिशत या अधिक) को 800–अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के उदाहरण क्रमशः अनुलग्नक – ख एवं ग में सूचीबद्ध किए गए हैं।

(iv) बजट नियंत्रण अधिकारियों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य प्राप्तियों तथा व्यय का पुनर्मिलान :- मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कण्डिका 24.9.3 के अनुसार सभी नियंत्रण अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ पुनर्मिलान करना चाहिए। वर्ष 2019–20 के दौरान मार्च 2020 तक सभी 124 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय ₹ 91,607.84 करोड़ (‘लोक ऋण’ एवं अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा के अन्तर्गत पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय ₹ 1,80,672.94 करोड़ के 50.70 प्रतिशत) तथा प्राप्ति ₹ 16,728.21 करोड़ (‘लोक ऋण’ एवं अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा के अन्तर्गत प्राप्ति को छोड़कर कुल प्राप्ति ₹ 1,47,702.87 करोड़ के 11.33 प्रतिशत) का आंशिक पुनर्मिलान किया गया। प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान नहीं किया जाना लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करता है।

(v) रोकड़ शेष का पुनर्मिलान :- 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रधान महालेखाकार द्वारा निकाले गए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष (₹ 4,623.28 करोड़) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (₹ 4,589.24 करोड़) के मध्य ₹ 34.04 करोड़ (जमा) का निवल अंतर था। यह अंतर मुख्यतया एजेन्सी बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेन-देनों की गलत जानकारी देने के कारण है तथा पुनर्मिलान के अधीन है। गत पांच वर्षों में रोकड़ शेष का अंतर निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रधान महालेखाकार अनुसार आंकड़े	भारतीय रिजर्व बैंक अनुसार आंकड़े	अंतर
2014–15	199.32 नामे	139.73 जमा	59.59 नामे
2015–16	1,009.49 नामे	566.36 जमा	443.13 नामे
2016–17	52.99 जमा	417.92 नामे	364.93 नामे
2017–18	693.65 जमा	699.83 नामे	6.18 नामे
2018–19	3,663.52 जमा	2,302.81 नामे	1,360.71 जमा

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष में अंतर की कोई भी राशि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान प्रधान महालेखाकार द्वारा रोकड़ शेष अंतर के पुनर्मिलान के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अंतर शेषों में से राज्य के खाते में राशि ₹ 34.79 करोड़ जमा की गई।

(vi) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र :- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 182 के अनुसार सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों के उचित उपयोग के बारे में औपचारिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उस वर्ष जिससे अनुदान संबंधित है, के आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले प्रेषित किये जाने चाहिए।

निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए अनुदान की उपयोगिता पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति नीचे दी गई है :-

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
2017-18 तक	19566	13,655.45
2018-19	20	479.56
2019-20	18	1,406.31
योग	19604	15,541.32

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जाने में मुख्यतः चूक करने वाले विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास (56.05 प्रतिशत - 1268 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, राशि ₹ 8,711.00 करोड़), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (14.07 प्रतिशत - 1453 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, राशि ₹ 2,186.80 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं निःशक्तजन कल्याण (4.81 प्रतिशत - 1143 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, राशि ₹ 748.03 करोड़), किसान कल्याण एवं कृषि विकास (2.83 प्रतिशत - 3090 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, राशि ₹ 439.99 करोड़) हैं।

(vii) निधियों का व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों एवं अन्य जमा खातों में अंतरण :- मध्यप्रदेश खजाना संहिता के नियम 543 के अनुसार, समेकित निधि को नामे कर और व्यक्तिगत जमा लेखाओं को क्रेडिट कर स्थानांतरित की गयी निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस स्थानांतरित करना चाहिए तथा यदि ऐसी सम्भावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है। दिनांक 31.03.2020 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति नीचे दी गई है :-

31 मार्च 2020 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान व्यय	अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	संख्या	राशि
731	3,938.48	10 (नवीन खाते)	9,267.05	6,936.83	801*	6,268.70
		60 (लेन-देन के कारण खाते पुनः खोले गये)		(वर्ष के दौरान कोई खाता बंद नहीं किया गया। राशि मौजूदा खातों से उन्मोचित)		
731	3,938.48	70	9,267.05	6,936.83	801*	6,268.70

* 216 व्यक्तिगत जमा खाते राशि ₹ 64.65 करोड़ तीन वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे। 48 खातों का अंतशेष निरंक है।

(viii) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये मुख्य प्रकार के उपकर :-

(क) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर :- भारत सरकार ने वर्ष 1996 में 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम' (नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का नियमन) पारित किया। उक्त अधिनियम की धारा 40 एवं 62 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम' (नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का नियमन), 2002 बनाया एवं इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल' के नाम से एक मण्डल का गठन किया जो इसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करेगा। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण मण्डल के संसाधनों में वृद्धि हेतु नियोक्ता द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की कीमत का 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक उपकर उपार्जित एवं संग्रहीत करने के लिए 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण निधि' का गठन किया गया।

अधिनियम के अनुसार मण्डल उचित लेखा एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा सी.ए.जी. की सलाह पर निर्धारित किये गये प्रपत्र में एक वार्षिक लेखा तैयार करेगा। सी.ए.जी. उक्त लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा करेगा। मण्डल अंकेक्षित लेखाओं की प्रति के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार उक्त वार्षिक लेखाओं और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानमण्डल के पटल पर रखेगी। निधि को शासकीय लेखे से बाहर संधारित किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान मण्डल के लेखाओं में राशि ₹ 311.16 करोड़ सीधे ऑनलाइन जमा किये गये एवं 31 मार्च 2020 को निधि का शेष ₹ 3,017.50 करोड़ था।

(ख) ऊर्जा विकास उपकर :- मध्यप्रदेश उपकर संशोधन अधिनियम, 2012 के अनुसार, कुछ अपवादों के अधीन, प्रत्येक विद्युत उत्पादक कम्पनी अथवा व्यक्ति जो उत्पादन संयंत्र का संचालन करता है, राज्य सरकार को ऊर्जा की कुल विकास दर पर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर हेतु भुगतान करेगा, जो उपभोक्ता को बेची गई अथवा वितरित की गई जो कि स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की गई। राज्य सरकार उपकर से प्राप्त आय को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित करेगी। उसके पश्चात्, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उपकर की आय के बराबर राशि विद्युत विकास निधि में जमा करनी होगी। निधि में जमा की गई राशि ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, संवितरण एवं उपयोगिता की क्षमता में सुधार एवं ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिये उपयोग की जायेगी। वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यशीर्ष 0043-800 (0660) विद्युत विकास उपकर को ₹ 434.32 करोड़ की राशि क्रेडिट की गई थी जिसे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत विकास निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया। इस प्रकार विद्युत विकास उपकर से विद्युत विकास निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं करने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को ₹ 434.32 करोड़ से कम दर्शाया गया है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक मुख्यशीर्ष 0043-800 (0660) विद्युत विकास उपकर को ₹ 442.45 करोड़ की राशि क्रेडिट की गई है।

3. अन्य मदें :-

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली :- 01 जनवरी 2005 से या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होती है, जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के अनुसार, कर्मचारी को अपने मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देना होता है राज्य सरकार द्वारा भी समान राशि दी जाती है तथा उसके बाद नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) /न्यासी बैंक के माध्यम से पूरी राशि नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारी अंशदान राशि ₹ 817.17 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने राशि ₹ 916.71 करोड़ का अंशदान किया। वित्त विभाग, म.प्र.सरकार के पत्र सं.एफ-9/3/2008/नियम/चार दिनांक 01.10.2009 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मुख्य शीर्ष 0071-01-500-अन्य लघु शीर्षों में अंतरण हेतु

प्रतीक्षित प्राप्तियों के तहत जमा की गई सम्पूर्ण राशि एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को हस्तान्तरित की जानी चाहिए। हालांकि, मुख्यशीर्ष 0071-01-500-अन्य लघु शीर्षों में अंतरण हेतु प्रतीक्षित प्राप्तियों के अंतर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 1,733.88 करोड़ में से राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 1,682.28 करोड़ एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को हस्तान्तरित किए गए। परिणामतः ₹ 51.60 करोड़ का कम अंतरण किया गया। उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, असमानित तथा अस्थानान्तरित राशियाँ योजना के अंतर्गत बकाया दायित्वों को दर्शाती हैं।

(ii) **राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ** :- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 9(2)(डी) के अनुसार किसी विशेष वर्ष के अंत में कुल बकाया प्रत्याभूति पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत की सीमा के भीतर होनी चाहिए। विवरण पत्रक 9 में प्रतिवेदित प्रत्याभूतियाँ राज्य शासन से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं जिसे राज्य शासन के विभिन्न स्वत्वधारी जैसे – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि को ऐसी प्रत्याभूतियाँ जारी करने का प्राधिकार है। वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति (मूल एवं ब्याज) राशि ₹ 43,016.67 करोड़ थी। मार्च 2020 के अंत में कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 30,929.55 करोड़ थी जो कि पूर्व वर्ष (2018-19) की राजस्व प्राप्ति ₹ 1,48,892.79 करोड़ की 20.77 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 के दौरान कोई प्रत्याभूति याचित नहीं हुई। ₹ 64.72 करोड़ के प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क के विरुद्ध वर्ष 2019-20 के अंत तक केवल ₹ 2.03 करोड़ प्राप्त हुये, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.69 करोड़ का अल्प संग्रहण हुआ।

(iii) **ऋण तथा अग्रिम** :- वित्त लेखे भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये भारत सरकार के लेखांकन मानक तीन (आई.जी.ए.एस.-3) की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम पर प्रकटीकरण शामिल किये गये हैं। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा 'बट्टे खाते में डाले गये अवसूली योग्य ऋण', 'ब्याज भुगतान की बकाया राशि', 'निरंतर ऋण के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण', 'ऋणी इकाइयों से बकाया ऋण भुगतान', 'वर्ष के दौरान दिए गए नवीन ऋण' तथा 'ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में असामान्य लेन-देन' से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके कारण, इसके बारे में खुलासा नहीं किया जा सका। वर्ष 2019-20 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा ₹ 43,085.15 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम दिये गये थे। इसमें से शासकीय निगमों, कंपनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को ₹ 43,066.04 करोड़ तथा शासकीय कर्मचारियों को ₹ 19.11 करोड़, ऋण एवं अग्रिम दिये गये। राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऋण तथा अग्रिम का पुनर्मिलान नहीं किया गया।

(iv) **निवेश** :- सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी एवं संयुक्त पूंजी कंपनियों तथा सहकारी समितियों में साधारण पूंजी तथा अंश के रूप में निवेश किया जाता है। इस सरकारी निवेश का दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति में विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)		
श्रेणी	इकाइयों की संख्या	वर्ष 2019-20 के अंत तक निवेश
सांविधिक निगम	35	10,038.35
सरकारी कंपनियाँ	41	24,713.23
अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियाँ एवं भागीदारी	24	1.31
सहकारी बैंक एवं समितियाँ	131	1,620.63
योग	231	36,373.52

(v) **ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ** :-

मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों के अनुसार मुख्यशीर्ष 8121 – 'सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ', 'ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ' में वर्गीकृत किया गया है।

(क) राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.) :- भारत सरकार गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.) का गठन और प्रचालन पर दिशानिर्देश जारी किये गये। कुल योगदान में, भारत सरकार निधि में अनुदान के रूप में योगदान करती है जो सामान्य श्रेणी राज्यों के लिए कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत होगा तथा विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत होगा। सितम्बर 2018 में, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 01 अप्रैल 2018 से निधि में अपना योगदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में निधि में 90 प्रतिशत योगदान किया गया तथा वर्ष 2019-20 में संशोधित विभाजन प्रतिमान के बजाय 75 प्रतिशत का योगदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹ 1,066.00 करोड़ (₹ 799.50 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹ 266.50 करोड़ राज्यांश) अंतरित किए गए।

दिशा निर्देशों के अनुसार, गम्भीर आपदा के प्रकरण में, जहाँ राज्य आपदा मोचन निधि में आवश्यकता से कम शेष हो, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.) से तत्काल राहत उपलब्ध करा सकती है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई ₹ 1,712.14 करोड़ की अतिरिक्त सहायता को राज्य सरकार द्वारा राज आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत अंतरित किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को ₹ 334.00 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की जो राज्य सरकार द्वारा रा.आ.मो.नि. में 2018-19 के बजाय 2019-20 में अंतरित की गयी। इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान रा.आ.मो.नि. में राज्य सरकार द्वारा कुल राशि ₹ 3,112.14 करोड़ अंतरित की गयी। 31 मार्च 2019 को निधि में ₹ 75.19 करोड़ का शेष था। प्राकृतिक आपदाओं में राहत के लिए सम्पूर्ण राशि ₹ 3,187.33 करोड़ का उपयोग किया गया। 31 मार्च 2020 को निधि में कोई राशि शेष नहीं है।

(ख) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष :- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 5-1/2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 तथा 02 जुलाई 2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की स्थापना की जाना चाहिए। उपयोगकर्ता संस्थानों से प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्यशीर्ष 8336- सिविल जमा के अंतर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किया जाना चाहिए। क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016, की धारा 3(4) के अनुसार निधि का 90 प्रतिशत मुख्यशीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और शेष 10 प्रतिशत को वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय कोष में जमा किया जायेगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष (एस.सी.ए.एफ.) में जमा के लिए ₹ 5,196.69 करोड़ प्राप्त किये। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह राशि कोष का केवल 90 प्रतिशत हिस्सा है। शेष 10 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से के रूप में राष्ट्रीय कोष में जमा है। इसलिए राष्ट्रीय कोष में अब धन के अंतरण की आवश्यकता नहीं है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने कुल ब्याज ₹ 3.39 करोड़ (मुख्यशीर्ष 8336-सिविल जमा के अंतर्गत ₹ 0.40 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां के अंतर्गत ₹ 2.99 करोड़) जमा किये। वर्ष 2019-20 के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2020 को एस.सी.ए.एफ. में ₹ 5,199.92 करोड़ शेष था।

(vi) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां :-

प्रत्याभूति विमोचन निधि (प्र.वि.नि.) :- मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित की। योजनानुसार सरकार को विगत वर्ष में प्राप्त किए गए प्रत्याभूति शुल्क के बराबर राशि का योगदान करना होता है तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर योगदान को मिलाया जाता है। पिछले वर्ष प्रत्याभूति शुल्क ₹ 14.73 करोड़ प्राप्त किया गया था। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में, निधि में,

₹ 29.46 करोड़ का योगदान करना था परन्तु राज्य सरकार द्वारा निधि में कोई योगदान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 29.46 करोड़ का अल्प योगदान हुआ।

(vii) अन्य प्रवर्तनशील आरक्षित निधियाँ :- मध्यप्रदेश में अधिक राशि वाली अन्य प्रवर्तनशील आरक्षित निधियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	राशि
1.	8228-राजस्व आरक्षित निधियाँ	101-राजस्व आरक्षित निधि	31.70
2.	8229-विकास तथा कल्याण निधियाँ	110-विद्युत विकास निधि	21,79.60
3.	8229-विकास तथा कल्याण निधियाँ	114-खदान कल्याण निधि	19,99.02
4.	8229-विकास तथा कल्याण निधियाँ	200-पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि	1,789.92
5.	8229-विकास तथा कल्याण निधियाँ	200-वन विकास निधि	165.35
6.	8229-विकास तथा कल्याण निधियाँ	200-मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास निधि	498.92

(viii) निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ :- मध्यप्रदेश में तीन निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	राशि
1.	8229-विकास तथा कल्याण निधियाँ	103-कृषि प्रयोजन के लिए विकास निधियाँ	0.37
2.	8226-मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	102-सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य ह्रास आरक्षित निधियाँ	4.64
3.	8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	200-अन्य निधियाँ	0.03

(ix) ब्याज समायोजन :- ज-आरक्षित निधि ((क)- ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ) एवं ट - जमा तथा अग्रिम ((क)- ब्याज वाली जमा) की श्रेणी के अंतर्गत शेषों के संदर्भ में सरकार अदा/समायोजन करने हेतु उत्तरदाई है तथा इस उद्देश्य हेतु मुख्य एवं लघु शीर्षों की लेखा सूची (जैसे मु.शी.2049-“ब्याज अदायगियाँ” के अंतर्गत”, 05-“आरक्षित निधियों पर ब्याज” एवं 60-“अन्य दायित्वों पर ब्याज”) में विशिष्ट उप मुख्यशीर्ष प्रदान किए गए हैं।

ट-(क) ब्याज वाली जमा के अन्तर्गत बकाया शेष राशि में ₹ 20.39 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित है तथा ₹ 0.40 करोड़ राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा से संबंधित है। सरकार द्वारा क्रमशः सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना पर ₹ 1.22 करोड़ तथा राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा पर ₹ 0.02 करोड़ (उधार लेने की लागत के रूढ़िवादी अनुमान को ध्यान में रखते हुए, 6 प्रतिशत की दर से गणना की गई) के ब्याज के भुगतान की आवश्यकता थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व और राजकोषीय घाटा ₹ 1.24 करोड़ कम दर्शाया गया है।

(x) उचंत एवं प्रेषण शेष :- वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामे एवं जमा शेषों को पृथक-पृथक जोड़कर निकाला गया है। उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशियों की स्थिति अनुलग्नक “घ” में दी गयी है।

बकाया शेषों का निराकरण नहीं किये जाने से राज्य सरकार के लेखों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों तथा शेषों (जिन शेषों को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाता है) की स्थिति की शुद्धता प्रभावित होती है।

(xi) राज्य में केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर उपलब्ध कराई गई निधि) :- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत संपूर्ण सहायता, क्रियान्वयन संस्था को न देते हुए राज्य सरकार को देने संबंधी दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रभावी भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, महानियंत्रक, लेखा की लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल अनुसार भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन संस्थाओं को वर्ष 2018-19 में ₹ 2,560.59 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2,671.99 करोड़ जारी किए गए जो कि 4.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VI में है।

(xii) प्रतिकूल शेष :- पिछले वर्षों (वर्ष 2018-19 तक) के दौरान गलत वर्गीकरण के कारण मुख्यशीर्ष 8443-109 वन जमा के अन्तर्गत ₹ 77.88 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 के दौरान राशि ₹ 29.69 करोड़ के वन विभाग द्वारा किये गये निराकरण के पश्चात राशि ₹ 48.19 करोड़ का ऋणात्मक शेष परिलक्षित हो रहा है। ये समीक्षा/सुधार के अधीन हैं। मुख्य शीर्ष 8342-120 विविध जमा के अन्तर्गत राशि ₹ 65.24 करोड़ का ऋणात्मक शेष पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा निदेशालय, मध्यप्रदेश, भोपाल से ब्याज के समायोजन के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त न होने के कारण है। पिछले वर्षों (वर्ष 2018-19 तक) के दौरान गलत वर्गीकरण के कारण मुख्यशीर्ष 8443-111 अन्य विभागीय जमा के अंतर्गत ₹ 308.76 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 245.63 करोड़ के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा किये गये निराकरण के पश्चात राशि ₹ 63.13 करोड़ का ऋणात्मक शेष परिलक्षित हो रहा है। ये समीक्षा/सुधार के अधीन हैं।

(xiii) आकस्मिकता निधि :- मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1957 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निधि की अभिरक्षा, उससे धनों के भुगतान और उसमें से धनों को निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने हेतु मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाये गये। मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 500 करोड़ का कोष है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिये कोई राशि शेष नहीं है। 31 मार्च 2020 को आकस्मिकता निधि में ₹ 500 करोड़ का शेष है।

(xiv) पाँच वर्ष और अधिक अवधि से अपूर्ण परियोजनाएँ :- राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 16 अधूरी परियोजनाएँ एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एक परियोजना है जो पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि से अपूर्ण हैं। संशोधित लागत और लागत में वृद्धि के साथ अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक-ड में दिखाया गया है।

(xv) मुख्यशीर्ष 3435 के अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर व्यय :- राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय चिंताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए उद्दिष्ट है। बजट एवं व्यय डाटा से संबंधित शब्दावली नामतः 'पर्यावरण', 'अपशिष्ट प्रबंधन', 'प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण', 'पर्यावरण अनुसंधान' तथा 'पर्यावरण संरक्षण' आदि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों/बजट दस्तावेजों आदि से संकलित किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यय को मुख्यशीर्ष 3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यशीर्ष 3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए 2019-20 के दौरान निर्दिष्ट मुख्यशीर्ष 3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है। इसके बजाय, राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से मांग संख्या 71-पर्यावरण में अन्य मुख्यशीर्षों के अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित बजट प्रावधान और व्यय

किया गया है, जिसका विवरण राज्य सरकार से प्राप्त प्रमाणकों/सूचना के आधार पर संकलित कर अनुलग्नक-च में दर्शाया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान मांग संख्या 71 में विभिन्न मुख्यशीर्षों के अंतर्गत ₹ 35.54 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 27.15 करोड़ का कुल व्यय दर्ज है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में ₹ 60.82 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 54.74 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान मांग संख्या 71 के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय निरंक था। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान यह व्यय कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 0.04 तथा 0.02 प्रतिशत था।

(xvi) प्रतिबद्ध दायित्व :- राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध दायित्वों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतएव वित्त लेखे वर्ष 2019-20 के परिशिष्ट XII में समाहित प्रतिबद्धताओं के दायित्वों को रिक्त रखा गया है।

(xvii) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (म.प्र.रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटीकरण :- चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी 2016, 23 मार्च 2017 एवं 30 मार्च 2017 को म.प्र.रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में दिये गए लक्ष्य और वर्ष 2019-20 में निष्पादन, जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है, नीचे दर्शाया गया है :-

म.प्र.रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियम के अनुरूप राजकोषीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (2019-20)
राजस्व आधिक्य/ घाटा	राजस्व आधिक्य	लेखाओं के अनुसार राजस्व घाटा ₹ 2,800.95 करोड़ है।
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 3.34 प्रतिशत से अधिक नहीं	लेखाओं के अनुसार, राजकोषीय घाटा ₹ 32,969.70 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 3.64 प्रतिशत है।
बकाया ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 24.43 प्रतिशत से अधिक नहीं	31 मार्च 2020 की स्थिति में बकाया ऋण ₹ 2,30,571.51 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.43 प्रतिशत है।

(* स्रोत - संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, म.प्र.शासन के अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 9,06,671.79 करोड़ लिया गया है।

(xviii) राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव :- राज्य सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जिसका विवरण पिछली कण्डिकाओं में दिया गया है, नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

कण्डिका क्रमांक	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
1(v)	राजस्व एवं पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण	निरंक	1,210.60	निरंक	निरंक
3(i)	एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को अंशदान का कम अन्तरण	निरंक	51.60	निरंक	51.60
3(viii)	आरक्षित निधियों तथा ब्याज वाली जमाओं पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	निरंक	1.24	निरंक	1.24
3(viii)(ख)	ऊर्जा विकास उपकर का विद्युत विकास निधि में कम अंतरण	निरंक	434.32	निरंक	434.32
	कुल (निवल) प्रभाव	निरंक	1,697.76	निरंक	487.16

अनुलग्नक क
(संदर्भ : कंडिका 1 की उप कंडिका (ii))
आवधिक/अन्य समायोजन का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

आवधिक समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को		
खनिज कल्याण निधि का आवर्धन	2853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	8229—विकास एवं कल्याण निधि	701.14	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
राज्य आपदा विमोचन निधि का आवर्धन	2245—प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	3,112.14	राज्य शासन से प्राप्त संस्वीकृतियों के अनुसार भारत शासन से प्राप्त सहायता अनुदान एवं राज्य शासन का हिस्सा अंतरित किया गया।
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत खर्च में कमी करने के लिए	8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2245—प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	3,187.33	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
व्यक्तिगत जमा लेखा को हस्तांतरण (₹ 10.00 करोड़ से अधिक)	6856—पेट्रोकेमिकल उद्योगों को ऋण	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	52.50	—
	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	150.53	—
	योग		203.03	
व्यक्तिगत जमा लेखा को हस्तांतरण (₹ 10.00 करोड़ से कम)	2059—लोक निर्माण कार्य	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	0.12	—
	योग		203.15	
अन्य जमा लेखा को हस्तांतरण (₹ 10.00 करोड़ से अधिक)	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	41.74	—
	योग		41.74	
अन्य जमा लेखा को हस्तांतरण (₹ 10.00 करोड़ से कम)	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	5.08	—
	योग		5.08	
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधियां	1,295.92	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन
विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधियां	153.92	विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधियां	9.83	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन

अनुलग्नक-ख
(संदर्भ : कंडिका 2 की उप कंडिका (iii))
लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार प्राप्तियों का विवरण पत्रक
(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 – "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
0404	डेरी विकास	0.06	0.06	100.00
0702	लघु सिंचाई	234.97	234.97	100.00
0801	विद्युत	54.56	54.56	100.00
1452	पर्यटन	0.63	0.63	100.00
0211	परिवार कल्याण	0.23	0.23	100.00
0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2,059.65	2,022.03	98.17
0852	उद्योग	0.53	0.52	98.11
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	9.97	9.75	97.79
0059	लोक निर्माण कार्य	117.91	114.76	97.33
0217	शहरी विकास	30.36	28.88	95.13
0056	जेल केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	4.89	4.59	93.87
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	32.78	29.82	90.97
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	11.05	7.48	67.69
0700	मुख्य सिंचाई	58.15	39.01	67.09
0029	भू-राजस्व	562.37	377.25	67.08
0401	फसल कृषि-कर्म	46.92	31.46	67.05
0215	जलपूर्ति तथा सफाई	12.51	8.07	64.51
0049	ब्याज प्राप्तियाँ	442.54	255.01	57.62
0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	176.34	94.89	53.81
0403	पशुपालन	2.54	1.35	53.15
0220	सूचना तथा प्रचार	0.64	0.28	43.75
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,320.22	1,715.74	39.71
0425	सहकारिता	10.49	3.82	36.42
0405	मछली पालन	7.78	2.72	34.96
0701	मध्यम सिंचाई	113.47	34.39	30.31
0071	पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	129.62	37.31	28.78
0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क सड़क तथा सेतु	5,568.59	1,178.31	21.16
0055	पुलिस	124.39	25.39	20.41
0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	0.05	0.01	20.00
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	2,268.00	442.45	19.51
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	834.26	98.72	11.83
0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	213.47	24.50	11.48
10	प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अन्य मुख्य शीर्ष	1,30,193.41	520.18	0.40
योग		1,47,643.35	7,399.14	5.01

अनुलग्नक - ग
(संदर्भ : कंडिका 2 की उप कंडिका (iii))
लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार व्यय का विवरण पत्रक
(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 - "अन्य व्यय" के अंतर्गत व्यय	प्रतिशत
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	55.19	55.19	100.00
2852	उद्योग	346.99	346.99	100.00
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.65	21.65	100.00
4408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	0.28	100.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	309.14	309.14	100.00
2075	विविध सामान्य सेवायें	26.07	25.73	98.70
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	945.05	930.19	98.43
4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.06	1.04	98.11
2702	लघु सिंचाई	163.96	160.14	97.67
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,509.23	7,018.98	93.47
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4,452.28	4,068.23	91.37
4711	बाढ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	4.99	4.50	90.18
2217	शहरी विकास	4,757.80	3,303.85	69.44
2851	ग्राम और लघु उद्योग	693.05	479.17	69.14
2705	कमान क्षेत्र विकास	9.22	5.90	63.99
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	147.14	84.25	57.26
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.07	2.24	55.04
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	562.29	276.82	49.23
2401	फसल कृषि कर्म	9,164.91	4,466.72	48.74
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय नगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	9.71	4.45	45.83
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	480.70	203.49	42.33
2801	विद्युत	13,968.16	5,791.02	41.46
5054	सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय	6,145.82	2,535.73	41.26
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	782.18	300.18	38.38
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,399.86	880.43	36.69
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय	982.48	322.54	32.83
3054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई	1,158.19	251.32	21.70
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	553.86	117.94	21.29
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	55.97	10.97	19.60
2701	मध्यम सिंचाई अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	718.84	122.75	17.08
2405	मछली पालन	82.23	11.36	13.81
2810	नवीन एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	109.26	12.57	11.50
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2,838.02	308.38	10.87
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं अल्पसंख्यक	3,930.24	408.65	10.40
	अन्य मुख्यशीर्ष जिनका प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम है	1,16,295.89	1,660.25	1.43
	योग	1,79,685.78	34,503.04	19.20

अनुलग्नक-घ
(संदर्भ : कड़िका 3 की उप कड़िका (x))
उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य/लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
8658- उचंत लेखा						
101- वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	(-) 3.69	54.32	118.53	112.16	47.70	48.60
निवल	नामे 58.01		जमा 6.37		नामे 0.90	
102- उचंत लेखा (सिविल)	0.31	0.72	0.64	0.83	0.01	0.19
निवल	नामे 0.41		नामे 0.19		नामे 0.18	
107- नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	(-) 2.09	111.66	28.05	141.60	28.05	141.60
निवल	नामे 113.75		नामे 113.55		नामे 113.55	
110- रिजर्व बैंक उचंत - केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 5.02	1,029.24	13.87	719.31	3.82	1,810.57
निवल	नामे 1034.26		नामे 705.44		नामे 1806.75	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	335.94	0.03	401.51	निरंक	177.45	निरंक
निवल	जमा 335.91		जमा 401.51		जमा 177.45	
113- भविष्य निधि उचंत	निरंक	13.85	निरंक	14.56	निरंक	14.55
निवल	नामे 13.85		नामे 14.56		नामे 14.55	
129- सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखे	258.74	71.56	223.11	36.10	223.11	36.10
निवल	जमा 187.18		जमा 187.01		जमा 187.01	
139-जी.एस.टी.-स्रोत पर कर कटौती उचंत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	96.16	77.21
निवल	निरंक		निरंक		जमा 18.95	
8782- नकद प्रेषण -						
102- लोक निर्माण प्रेषण	1,26,341.49	1,23,445.82	1,24,873.37	1,21,170.94	1,42,048.94	1,38,040.17
निवल	जमा 2,895.67		जमा 3,702.43		जमा 4,008.77	
103- वन प्रेषण	19,244.49	19,398.95	4,605.34	4,483.09	4,607.38	4,492.03
निवल	नामे 154.46		नामे 122.26		नामे 115.35	
110- विविध प्रेषण	6,985.25	7,556.96	7,109.51	8,046.85	7,287.74	8,554.27
निवल	नामे 571.71		नामे 937.34		नामे 1,266.53	

अनुलग्नक-ड
(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (xiv))
पाँच वर्ष और ज्यादा अवधि से अपूर्ण परियोजनाओं को दर्शाता विवरण पत्रक
(₹ करोड़ में)

स.कं.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	संशोधित लागत	लागत में वृद्धि
जल संसाधन विभाग				
1.	छापर तालाब नहर लाइनिंग कार्य, सीहोर	1.70	0.00	निरंक
2.	दीवानगंज मध्यम नहर योजना/रायसेन जिले की दीवानगंज सिंचाई योजना अंतर्गत बांयी मुख्य नहर, दांयी मुख्य नहर, वितरिका नहरें इनकी लाइनिंग एवं समस्त नहरों पर पड़ने वाले पक्के कार्यों का निर्माण कार्य	34.07	0.00	निरंक
3.	बाणसागर परियोजना इकाई II- 0101 नहर (13), भोपाल	4,244.60	0.00	निरंक
4.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण (26), भोपाल	2,033.92	0.00	निरंक
5.	पेंच परियोजना (63), भोपाल	2,544.57	0.00	निरंक
6.	कुण्डलियां परियोजना (84), भोपाल	3,448.00	0.00	निरंक
7.	सम्राट अशोक सागर II, भोपाल	110.15	0.00	निरंक
8.	बनेठा, भोपाल	48.61	0.00	निरंक
9.	सूरजपुरा मध्यम (68) परियोजना, भोपाल	70.61	0.00	निरंक
10.	सीप कोलार लिंक व्यपवर्तन (5592), भोपाल	137.21	0.00	निरंक
11.	सोनपुरा मध्यम परियोजना (61), भोपाल	127.46	0.00	निरंक
12.	बसाढ़ डायवर्सन, उमरिया	11.28	0.00	निरंक
13.	पटपरिहा जलाशय, उमरिया	6.16	8.24	2.08
14.	धनवाही व्यपवर्तन, उमरिया	24.48	37.12	12.65
15.	भड़ारी जलाशय, उमरिया	6.28	0.00	निरंक
16.	वनदेही जलाशय, उमरिया	16.48	0.00	निरंक
लोक निर्माण विभाग				
17.	बदनावर रतलाम से धमाना काछीबड़ोदा रूनिजा फाटा, धार तक मार्ग निर्माण रिस्क एवं कास्ट	12.21	0.00	निरंक

अनुलग्नक-च
(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (xv))
पर्यावरण से संबंधित व्यय को दर्शाता विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
				बजट (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बजट (मूल+ अनुपूरक)	व्यय	बजट (मूल+ अनुपूरक)	व्यय
2215	02	106	002	--	--	1.00	0.90	1.00	1.00
2215	02	106	002	--	--	18.20	16.38	6.95	6.95
2215	02	106	000	--	--	--	--	6.50	4.00
2215	02	106	000	--	--	--	--	4.30	2.65
2215	02	106	007	--	--	1.00	0.90	0.50	0.39
2215	02	800	007	--	--	1.50	1.35	1.36	0.84
2215	02	800	007	--	--	1.10	0.99	0.44	0.27
2217	05	191	007	--	--	5.85	5.27	5.91	4.66
2217	05	191	007	--	--	2.20	1.98	2.73	2.18
2217	05	191	007	--	--	1.10	0.99	1.47	0.91
2217	05	191	007	--	--	0.09	0.08	0.09	0.06
2217	05	191	001	--	--	15.15	13.63	2.35	2.21
2217	05	191	007	--	--	13.63	12.27	0.94	0.72
2217	05	001	007	--	--	--	--	0.60	0.00
4217	01	051	002	--	--	--	--	0.40	0.31
योग				--	--	60.82	54.74	35.54	27.15

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in